संशोधित प्रति
30 जून, 2002

सर्व शिक्षा अभियान

जिला प्रारंभिक शिक्षा
कार्ययोजना
(2002--2007)

जनपद – औरैया

NIEPA DC
D11484

-54235
372
AUR-J

MFN-28306

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-11484
Date 09-07-2002.

औरैया

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–5
2.	शैक्षिक परिदृश्य	6–19
3.	नियोजन प्रक्रिया	20–26
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	27–30
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	31–32
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार– (नवीन विद्यालय)	33–34
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार– (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0)	35–58
8.	ठहराव में वृद्धि	59–79
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	80–125
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	126–149
11.	परियोजना लागत	150–161

औरैया

अध्याय – 1

जनपद की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

औरैया उत्तर प्रदेश का नव सृजित जनपद है। प्राचीन काल में यह पंचाल राज्य में शामिल था। औरैया जनपद मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है। यह समुद्र तल से 139 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

स्थानीय लोकमान्यता के आधार पर औरैया का प्रचीन नाम नारायणपुर है। यह नाम नारायण दास संधिहा के नाम पर 1521 ई0 में पड़ा था दैवीय आपदा के कारण जमालशाह सिद्ध फकीर के कहने पर इसका नाम औरई रखने के लिए कहा। औरई का अपभ्रंश शब्द ही औरैया है।

औरैया जनपद 26'21' उत्तरी अक्षांस तथा 79'31^{0} पूर्वी देशान्तर पर बसा है।

प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से औरैया जनपद यमुना नदी व अन्य नदियों के द्वारा व्यापक सजाया सवांरा गया है। जनपद का दक्षिणी भाग यमुना नदी का बीहड़ तथा दुर्गम दस्यु अन्यारण के कारण प्रख्यात है। उत्तरी भाग उपजाऊ तथा समतल है।

औरैया जनपद के पूर्व में कानपुर देहात तथा पश्चिम में इटावा, उत्तर में जनपद फर्रुखाबाद तथा नवसृजित जनपद कन्नौज, व दक्षिण में जनपद जालौन है।

औरैया जनपद का कुल क्षेत्रफल 2178 वर्ग किमी है जिसमें औरेया तहसील का क्षेत्रफल 1074.6 वर्ग किमी. तथा विधूना तहसील का क्षेत्रफल 1103.40 वर्ग किमी है। इस जनपद में औरैया, अजीतमल, भाग्यनगर अछल्दा, विधूना, एरवा कटरा व सहार विकास खन्ड शामिल हैं।

भूमि व उपज – औरैया जनपद की भूमि ऊबड़ खाबड़ व असनतल है। प्राकृतिक संरचना के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है।

1. पचार 2. पार 3. धार

जनपद औरैया के पचार क्षेत्र की मिट्टी दोमट, मटियार, ऊसर व रेतीली है। पार की मिट्टी कंकरीली व पथरीली है। धार क्षेत्र की मिट्टी दोमट मटियार है। जनपद में गेहूँ मक्का धान, बाजरा तिलहन, दलहन आदि की मुख्य पैदावार है।

सिंचाई के साधन – औरैया जनपद में सिंचाई के मुख्य साधन नहरें हैं। प्रमुख रूप से 3 नहरों से जनपद का 2/3 भाग सिंचित होता है, किन्तु पार क्षेत्र जो यमुना नदी का बीहड़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर सरकार द्वारा डीपबोरिंग के ट्यूबवैल लगाये गये हैं। विधूना तहसील के कुछ स्थान ऐसे है, जहाँ पहले कुँओं से भी सिंचाई की जाती थी जिन्हें रहट के नाम से पुकारा जाता था। इस क्षेत्र में भी अब निजी व सरकारी ट्यूबवैल हो गये हैं। कुछ बीहड़ी भाग को छोड़कर शेष जनपद का भाग सिंचित है।

नदियां व झीलें – औरैया जनपद में मुख्यतः चम्बल, यमुना, सेंगर, पांडु, पुरहान, अरिन्द हैं। प्राकृतिक झीलें तहसील विधूना क्षेत्र में पायीं जाती हैं, जो वर्षा ऋतु में अधिक विस्तार वाली हो जाती हैं। मुख्यतः टडवा, याकूबपुर, बरोली, हरदू, महई, धूपक, मनवरा, ओतों, व धरमपुर में हैं।

उद्योग धंधे – प्रमुख उद्योग कृषि व पशु पालन हैं। प्रदेश की प्रसिद्ध घी की मण्डी औरैया में है। इमारती लकड़ी का व्यवसाय प्रमुख है। गैस अथार्टी ऑफ इंडिया, एन.टी.पी.सी. औरैया व पाता पेट्रो केमिकल्स लि0 परियोजनायें संचालित होने से राजस्व व रोजगार की संभावनायें बढी हैं।

भाषा – औरैया जनपद की भाषा ब्रज, कन्नौजी व बुंदेली मिश्रत हैं। जनपद में आल्हा, फाग, कजरी, रसिया, ढोला, अचरी, लंगुरिया, भजन, कीर्तन, आज भी ग्राम की चौपालों की शोभा उच्च लोकगीतों के माध्यम से बढ़ा रहे हैं।

पर्यटन स्थल – (1) पर्यटन स्थलों में मुख्यरूप से कुदरकोट जिसका पूर्व नाम कुडलकोट था। जनश्रुति है कि कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपरहरण यही से किया गया था।

(2) दोवा पौराणिक व पुरातालिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तीर्थ है। यह महर्षि दुवार्सा की तपोभूमि है यहाँ चार शिवलिंग स्थापित हैं जो कि गुप्तकाल के माने जाते हैं।

जनपद औरैया वर्ष सितम्बर 1997 तक इटावा जनपद का अंग था वर्ष 1997 में प्रदेश के भौगोलिक मानचित्र पर नवसृजित जनपद के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान समय में प्रशासनिक दृष्टि से जनपद दो तहसीलों औरैया एवं विधूना तथा सात विकास खण्डों में विभाजित है।

सारणी 1.1

जिले की प्रशासनिक इकाइयाँ

संख्या

तहसील	2
विकास खण्ड	7
न्याय पंचायत	75
ग्राम सभायें	441
राजस्व ग्राम	841
बस्तियों की संख्या	1666
नगरीय क्षेत्र	1
नगरनिगम	0
नगरमहापालिका	0
टाउन एरिया	6
वार्ड	25

स्त्रोत :- सांख्यकीय आंकड़े

जनसंख्या :

वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 10.00 लाख थी, जिसमें 5.46 लाख पुरुष तथा 4.54 लाख महिलायें थीं। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 26.89 था जो प्रदेश के औसत 21.20 प्रतिशत से अधिक था। वर्ष 2001 में जिले की कुल जनसंख्या 11,79,496 है। जिसमें पुरुष 6.36 लाख तथा महिलायें 5.44 लाख है। जनपद का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 856 महिलाओं का है। 0–6 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 2,10,185 है। जनपद की जनसंख्या वृद्धि दर 1.7 प्रतिशत वार्षिक है। जनपद का जनसंख्या घनत्व 575 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है। जनपद में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.01 है, जो नगण्य है।

सारणी 1.2

विकास खण्ड वार / नगर क्षेत्र वार जनसंख्या

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 1991							जनसंख्या 2001 (अनुमानित)					
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति जनसंख्या			प्रतिशत	कुल जनसंख्या			अनु0 जाति जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	औरैया	86446	70547	157093	25799	20189	45988		99660	91993	191653	29175	26930	56105
2.	सहार	69017	56659	125673	19353	15640	34993		79728	73596	153324	22199	20492	42691
3.	विधूना	67109	56364	123743	16778	13808	30586		78331	72306	150637	19404	17911	37315
4.	भाग्यनगर	70705	57612	28317	23167	18294	41461		86084	70463	156547	26302	24280	50582
5.	ऐरवाकटरा	52365	43340	95705	11263	8811	20074		60715	56045	116760	12735	11755	24490
6.	अछल्दा	67044	55351	122395	19385	15778	35163		77647	71675	149322	22307	20592	42899
7.	अजीतमल	64430	53018	117448	22600	18076	40676		68778	74509	143287	25805	23820	48625
	योग	**477216**	**392891**	**870107**	**139345**	**110576**	**248941**		**556674**	**504856**	**1061530**	**157927**	**145780**	**303707**
	महायोग	**546950**	**453085**	**1000035**	**148706**	**120159**	**268865**		**639099**	**580943**	**1220042**	**170566**	**157447**	**328013**

स्रोत : भारत की जनगणना, 1991

नोट : वर्ष 2001 की जनगणना के विकास खण्ड वार का जातिवार सारणी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इसलिये अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

वर्ष 1991 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जनपद की कुल जनसंख्या का 15.7 प्रतिशत था। जो राष्ट्रीय औसत 25.7 से काफी कम हैं नगरीय जनसंख्या में पुरूषों की भागीदारी 53.67 प्रतिशत एवं महिलाओं की 46.33 प्रतिशत है। नगरीय जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15.3 प्रतिशत है जो प्रमाणित करता है कि इस वर्ग की नगरीय क्षेत्र में भागीदारी अत्यन्त कम उनके पिछड़ेपन का द्योतक है।

सारणी–1.3

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

क्र. स.	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 1991						2001 (अनुमानित)					
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु0 जाति जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	औरैया NP	27089	23683	50772	2903	2679	5582	3209	29733	61942	3541	3269	6810
2.	बाबरपुर अजीत	9853	8479	1832	2321	2143	4464	11630	10735	22365	2832	2614	5446
3.	विघूना TA	10250	9025	19275	1454	1342	2796	12228	11287	23515	1774	1637	3411
4.	फफूँद TA	6552	5638	12190	836	771	1607	7733	7139	14872	1019	941	1960
5.	दिबियापुर TA	7413	6274	13687	1284	1186	2470	8683	8015	16698	1567	1446	3013
6.	अटसू TA	4667	3861	8528	910	840	1750	5410	4994	10404	1110	1025	2135
7.	अछल्दा TA	3910	3234	7144	653	602	1255	4532	4184	8716	796	735	1531
	योग	69734	60194	129928	10361	9563	19924	82425	76087	158512	12639	11667	24306
	महायोग												

स्रोतः भारत की जनगणना 1991

नोटः वर्ष 2001 की जनगणना के नगर क्षेत्रवार व जतिवार आँकड़े वर्तमान में उपलब्ध नही हैं। इसलिए अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

अध्याय – 2
शैक्षिक परिदृश्य

जनपद में बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 से लागू हुई उस समय जनपद इटावा में ही सम्मिलित था। जनपद सृजन के बाद से योजना औरैया से संचालित होना प्रारम्भ हुई।

परियोजना के अन्तर्गत जनपद में कुल 410 प्राथमिक विद्यालय निर्मित हुये तथा 174 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हुआ। परियोजना के अन्तर्गत जनपद में 92 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण हुआ, पेयजल व्यवस्था हेतु 460 हैण्डपम्पों की स्थापना हुई तथा 490 शौचालयों की व्यवस्था भी परियोजना के अन्तर्गत विद्यालयों में दी गयी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शैक्षिक गुणवत्ता में विकास हेतु न्याय पंचायत स्तर पर 75 सकुल भवनों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के लिये ब्लाक संसाधन केन्द्र भवन का निर्माण कराया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना के कारण जनपद में विद्यालयों में बच्चों के नामांकन दर में आशातीत वृद्धि हुई तथा ठहराव में भी व्यापक प्रभाव पड़ा। परियोजना के अन्तर्गत जनसहभागिता द्वारा, जन प्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों के विचारों द्वारा शिक्षा स्तर में संतोषजनक प्रगति हुई तथा जिले के पिछड़े क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा।

जनपद की 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 43.13 है। इसमें पुरूष साक्षरता 53.5 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 30.5 प्रतिशत है। ग्रामीण साक्षरता की दर 41.57 प्रतिशत एवं नगरीय साक्षरता की दर 54.00 प्रतिशत है। जनपद की कुल साक्षरता राज्य की कुल साक्षरता 41.6 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। अनु0 जाति के ग्रामीण पुरूषों की साक्षरता 52 प्रतिशत तथा ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता 28.2 प्रतिशत है। ग्रामीण महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से लगभग 24 प्रतिशत कम है। साक्षरता की दृष्टि से वि0ख0 एरवा कटरा एवं अछल्दा सर्वाधिक पिछड़ा है। जहाँ पर कुल साक्षरता दर क्रमशः 39 एवं 38 है। साथ ही विकास खण्ड अजीतमल की साक्षरता दर 44 प्रतिशत जनपद की साक्षरता दर से अधिक है।

सारणी 2.1

साक्षरता दर

जनपद की साक्षरता दर	(1991)	राज्य की साक्षरता दर
कुल साक्षरता दर	43.13	41.60
ग्रामीण साक्षरता दर	41.57	36.66
नगरीय साक्षरता दर	54.00	61.03
कुल पुरुष साक्षरता	53.5	55.73
कुल महिला साक्षरता	30.5	25.31
ग्रामीण पुरुष साक्षरता	52.0	52.05
ग्रामीण महिला साक्षरता	28.2	19.02
नगरीय पुरुष साक्षरता	61.0	69.68
नगरीय महिला साक्षरता	46.000	50.38

स्रोत – जिला सांख्यकीय पत्रिका – 1991

नोटः 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता की साक्षरता दर 71.50 हो गई है। पुरूष साक्षरता दर 81.18 तथा महिला साक्षरता दर 60.08 है। विगत दशक में जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

विकास खण्डवार साक्षरता

सारणी संख्या 2.2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विकास खण्ड अछल्दा एवं ऐरवा कटरा में महिला साक्षरता दर 24 एवं 26 प्रतिशत है जो अत्यन्त कम है इन ब्लाक में बालिका शिक्षा के लिए अपेक्षित साक्षरता प्राप्त करने हेतु उन्नयन कार्यक्रमों को चिन्हांकित केन्द्रों में सम्मिलित किया गया है।

सारिणी २.२

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	योग
1.	औरैया	54	30	43
2.	सहार	53	30	43
3.	बिधूना	52	28	41
4.	भाग्यनगर	54	29	43
5.	ऐरवा कटरा	50	26	39
6.	अछल्दा	49	24	38
7.	अजीतमल	55	31	44

स्रोत – जिला सांख्यकीय पत्रिका – 1991

नोटः जनगणना वर्ष 2001 की विकास खण्ड वार साक्षरता विवरण उपलब्ध नही है।

शैक्षिक संस्थायें —

जनपद में कुल 779 परिषदीय प्राथिमिक विद्यालय तथा 389 मान्यताप्राप्त विद्यालय संचालित हैं। पूर्वमा0 स्तर पर 207 परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं। जनपद में 46 हाइ स्कूल एवं 57 इण्टरमीडिएट कालेज संचालित हैं। जनपद में 04 स्नातक/स्नाकोत्तर महाविद्यालय हैं। जो छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। जनपद में एक केन्द्रीय विद्यालय है। जो दिबियापुर में स्थित है।

सारणी 2.3

शैक्षिक संस्थायें

क्रम संख्या		परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्राथमिक विद्यालय	758	21	779	229	160	389	987	181	1168	33	21	56
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध (प्राथमिक)	—	—	—	9	1	10	9	1	10	—	—	
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	203	4	207	143	63	206	346	67	413	16	11	27
4.	माध्यमिक विद्यालय सम्बद्ध उच्चप्राथमिक अनुभाग	5	—	5	91	7	98	96	7	103	—	—	
5.	केन्द्रीय विद्यालय		—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—
6.	नवोदय विद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7.	हाईस्कूल	4	—	4	41	1	42	45	1	46	—	—	—
8.	इण्टरमीडिएट	1	—	1	50	6	56	51	6	57	—	—	—
9.	डिग्री कालेज	—	—	—	2	2	4	2	2	4	—	—	—
10.	स्नाकोत्तर विद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

क्रम संख्या		परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	तकनीकी संस्थान (आई.टी.आई / पॉलीटेक्निक)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	कम्प्यूटर शिक्षाप्रदान करने वाली संस्थायें	–	–	–	–	5	5	–	5	5	–	–	–
14.	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	476	3	479	–	–	–	476	3	479	–		
15.	मकतब / मदरसे	–	–	–	3	1	4	3	1	4	–	–	
16.	संस्कृत पाठशालायें	–	1	1	1	1	2	1	2	3	–	–	
17.	विकलांग बच्चों की शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
18.	बाल श्रमिक विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

श्रोत – विभागीय आंकड़े

शिक्षकों की उपलब्धता –

जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कुल 2650 शिक्षकों के पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष कुल 2337 शिक्षक कार्यरत हैं। 1 जुलाई 2000 को मानक निर्धारित करते हुए जनपद में 313 प्राथमिक स्तर पर परिषदीय शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जनपद में अब तक 161 शिक्षा मित्रों के पद स्वीकृत किए गये हैं। जनपद में उच्च प्राथिमिक विद्यालयों में कुल 1131 शिक्षकों के पद सृजित हैं जिनमें 946 शिक्षक कार्यरत हैं तथा 185 पद रिक्त हैं।

सारणी – 2.4

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

	सृजित	कार्यरत	रिक्त 01.07.2000	स्वीकृत शिक्षामित्रकीसं.
परिषदीय प्राथिमिक विद्यालय	2650	2337	313	161
परिषदीय उच्च प्राथिमिक विद्यालय	1131	946	185	–

स्रोत :– विभागीय आंकड़े

परिषदीय अथवा मान्यताप्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

जनपद में 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या 841 है। इसमें 770 आबाद ग्राम हैं। इसमें से 606 ग्रामों में 1 कि0मी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। 1 कि0मी0 से अधिक तथा 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर 101 ऐसे ग्राम हैं जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं साथ ही 27 ऐसे ग्राम हैं जहाँ पर 1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। (सारणी संख्या–2.5)

जनपद में 300 से अधिक आबादी वाली 821 बस्तियां हैं इनमें 621 बस्तियों में 1 कि0मी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालय 139 बस्तियों में 1 कि0मी0 से अधिक एवं 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं तथा 61 ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पर 1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय अवस्थित है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

वर्तमान में शेष असेवित बस्तियों में जो मानक के भीतर आती हैं सर्वप्रथम विद्यालय की स्थापना की जायेगी। तत्पश्चात प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की उपलब्धता के आधार पर उच्चीकृत किया जायेगा, जिससे उपलब्ध संसाधनो का समुचित उपयोग किया जा सके।

जनपद में 800 की आबादी से अधिक ग्रामों की संख्या 490 है। इनमें 51 ऐसे ग्राम हैं जहाँ पर 3 कि0मी0 की परिधि में कोई पूर्व माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है। उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात 1:2 करने पर जनपद में 198 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता पड़ेगी। जनपद में 800 से अधिक आबादी वाली 72 बस्तियों में 3 कि0मी0 की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। (संलग्न सारणी 2.5)

सारणी 2.5

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 किमी0से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी. से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालय
ऐसे ग्राम की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	606	101	27
ऐसी वस्तीयों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	621	139	61

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	3 किमी0से कम दूरी पर परिषदीय/मा0प्रा0 उ0प्र0 विद्यालय उपलबध	3 किमी. से अधिक दूरी पर परिषदीयउ0प्रा0 विद्यालय उपलवध	उ0प्र0 तथा प्राथिमिक वि0 अनु0 1:2 करने हेतु अतिरिक्तआवश्यक उ0प्र0 विद्यालयों की संख्या
ऐसे ग्राम की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	345	51	198
ऐसी वस्तीयों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	72	—	—

स्रोत– अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार।

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें–

जनपद के 779 प्राथमिक विद्यालयों में भवन उपलब्ध हैं। जिनमें 13 प्रा0वि0 का पुर्ननिर्माण होना है। प्रा0 स्तर पर जनपद में 695 दो कक्षीय विद्यालय हैं तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या 47 है तथा 4 कक्षीय विद्यालयों की संख्या 17 हैं। जनपद में प्राथिमिक स्तर पर 714 विद्यालयों में शौचालय, 694 विद्यालयों में हैण्ड पम्प उपलब्ध है। जब कि 88 प्राथिमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी उपलब्ध है। 49 प्रा0वि0 में बृहद मरम्मत व 120 में लघुमरम्मत की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर जनपद में 207 परिषदीय विद्यालय संचालित है जिनमें 204 उ0प्रा0 विद्यालय भवन युक्त हैं शेष 3 पू0मा0वि0 में पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है। 196 वि0 में शौचालय 200 विद्यालयों में हैण्डपम्प व 23 विद्यालयों में चाहरदीवारी उपलब्ध है।

सारणी – 2.7
प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय भवन कक्ष							जर्जर	लघु	वृहद	हैण्ड पम्प		शौचालय		चाहरदीवारी	
		1	2	3	4	5	5 +	भवनहीन		मरम्मत	मरम्मत	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1	औरैया	-	119	10	2	-	-	-	-	10	15	101	30	131	-	9	112
2	अजीतमल	-	117	-	-	7	-	-	2	6	6	114	6	106	14	28	92
3	अछल्दा	-	94	-	6	3	2	2	2	45	2	97	8	97	8	9	96
4	एरवाकटरा	-	72	3	2	-	-	-	-	8	5	77	-	75	2	4	73
5	बिधूना	3	107	6	-	1	1	1	3	30	12	101	20	91	30	14	107
6	भाग्यनगर	-	105	9	3	1	1	-	4	10	-	111	8	114	5	12	107
7	सहार	1	82	9	3	-	-	-	7	5	4	86	9	93	2	5	90
8	नगर क्षेत्र	-	-	10	1	-	-	7	-	6	5	7	4	7	4	7	4
	योग	4	696	47	17	5	3	10	18	120	49	694	85	714	65	88	691

श्रोत विभागीय आंकड़े

सारणी –2.8
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय भवन कक्ष						भवनहीन	जर्जर	लघु मरम्मत	वृहद मरम्मत	हैण्ड पम्प		शौचालय		चाहरदीवारी	
		1	2	3	4	5	5 +					हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
1	औरैया	-	-	34	2	1	-	1	2	1	-	37	1	37	1	3	35
2	अजीतमल	-	-	21	6	2	-	-	-	1	-	29	-	28	1	12	17
3	अछल्दा	-	-	25	5	-	-	-	-	4	-	29	1	25	5	3	27
4	एरवाकटरा	-	-	20	3	-	-	1	-	-	2	22	2	22	2	-	24
5	बिधूना	-	-	29	-	-	1	-	-	-	1	30	-	29	1	-	30
6	भाग्यनगर	-	-	25	1	-	2	-	-	-	-	25	3	28	-	3	25
7	सहार	-	-	26	1	-	-	-	1	-	1	27	-	27	-	1	26
8	नगर क्षेत्र	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	
	योग	-	-	181	18	3	3	2	3	6	5	200	7	196	11	23	184

श्रोत विभागीय आंकड़े

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमीः—

जनपद में विभागीय मानक के अनुसार 28 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है जबकि 21 विद्यालयों का पुनः निर्माण कराया जाना अपेक्षित है। छात्र संख्या के आधार पर 760 अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता प्राथमिक स्तर पर है इसमें सर्वाधिक अतिरिक्त कक्षा कक्ष विकास खण्ड औरैया में निर्मित होना है। 85 ऐसे प्राथमिक विद्यालय जनपद में हैं जहाँ पर पेयजल सुविधा की आवश्यकता है जबकि 65 विद्यालय शौचालय विहीन हैं। जनपद में 691 प्राथमिक विद्यालयों में चाहारदीवारी की आवश्यकता है।

पूर्व माध्यमिक स्तर पर 11 विद्यालयों में शौचालय, 7 विद्यालयों में हैण्डपम्प एवं 184 विद्यालयों में चाहारदीवारी की आवश्यकता होगी। जनपद प्राथमिक उच्च प्राथमिक अनुपात 1:2 को मानक मानते हुए 198 उच्च प्राथमिक की आवश्यकता होती।

मरम्मत की दृष्टि से जनपद में 6 विद्यालय में लघु मरम्मत एवं 4 विद्यालयों में वृहद मरम्मत की आवश्यकता पड़ेगी। 1:2 के मानक को पूरा करते हुए उच्च प्राथमिक स्तर पर 198 नवीन विद्यालय की आवश्यकता है साथ ही 3 विद्यालयों का पुनः निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

विद्यालयों/भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिए आगामी वर्षों के लिए केवल 11वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित हैं।

सारणी – 2.9

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी

क्र.सं.	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग	कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग
1.	नवीन विद्यालय	28		28	198		198
2.	विद्यालंय पुर्ननिर्माण	21		21	3		3
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष (प्रति शिक्षक/प्रतिकक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि के आधार पर)	760		760	26		26
4.	पेयजल	85		85	7		7
5.	शौचालय	65		65	11		11
6.	चाहारदीवारी	691		691	184		184

स्रोत – अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स

जनपद औरइया

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य कर रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की जाती रही। औरइया जनपद इटावा का अंग था। शैक्षिक सांख्यिकी संकलित रूप में इटावा जनपद के साथ तैयार हुई अतः विभिन्न इण्डीकेटर्स दोनों जनपदों के लिए समान हैं। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्य योजना के निर्माण बी0ई0पी0 परियोजना के सम्बन्धित निर्णयों में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है –

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	वृद्धि प्रतिशत
कक्षा 1		66370	64009	68712	3.52
कक्षा 2		67668	67885	65247	(-) 6.42
कक्षा 3		57753	65288	63921	10.67
कक्षा 4		42272	52174	53986	27.71
कक्षा 5		32658	40104	44232	35.44
योग		**266721**	**289460**	**296098**	**11.01**
जी0ई0आर0					
कुल		77.24	88.79	88.82	
बालिका		78.34	84.42	90.56	
एन0ई0आर0					
कुल		67.14	77.23	83.85	
बालिका		68.32	78.40	85.66	

जनपद के नामांकन में औसतन 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालकों के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 से अधिक हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है।

बी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :–

	परियोजना के पूर्व	2000 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	559	779	39.4
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	1986	2650	33.4

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 5.6 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5	औसत
1998	9.28	12.71	18.08	17.11	-	
1999	0.50	3.47	6.81	1.70	-	
2000	0.50	5.75	16.92	14.85	-	

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्राप आउट दर 30.6 प्रतिशत से घटकर 27.7 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998	1.30	7.38
1999	5.21	5.71
2000	0.39	6.63

रिपीटीशन दर मात्र 4.6 है तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 6.49 वर्ष ही लग रहे हैं अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 — **1 : 49**

एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 — 13.97

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–01) —

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में काफी कमी आयी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक 1:64 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात में विगत वर्षों में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:59 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद–औरइया

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	6747	5434	4812	16993	-
1999-2000	7496	6001	4984	18481	8.76
2000-2001	7858	6820	5537	20215	9.38

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यक्रमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तीव्र गति से हुयी है, जिसे स्थायित्व प्रदान करने की महती आवश्यकता है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	14972	6747	-
1999-2000	15883	7496	50.07
2000-2001	17848	7858	49.47

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा–5 उत्तीर्ण आधे से अधिक बच्चे कक्षा–6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	59	207	251
उच्च प्राथमिक अध्यापक			

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था	उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि0	योग (3+4)	प्रा0 विद्यालय उच्च प्रा0 विद्यालय अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	758	203	96	299	2.5 : 1
नगर क्षेत्र	21	4	7	11	2 : 1
योग	**779**	**207**	**103**	**310**	**2.5 : 1**

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा–5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6–8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात   है।

19 d

औरैया

अध्याय– 3

नियोजन प्रक्रिया

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बंधित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/ आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई

- ग्राम मे 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हैं तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र – अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमितरूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण

2. स्कूल का मानचित्रण/ शैक्षिक मानचित्र

3. सूचनाओं का विश्लेषण

4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक– युवतियों, शिक्षकों/ शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या

2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या

3. स्त्री–पुरूष की जनसंख्या

4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या

5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी

6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी

7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड. स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही

विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गाँव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आँकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/बस्तीवार आँकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6–8 वर्ष तथा 9–14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक–पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आँकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के जून 2001 तक क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आँकड़ों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहाँ तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आँकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटीज़) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

सूक्ष्म नियोजन आँकड़ों को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जायेगा तथा इनका उपयोग आगामी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के निर्माण के समय EGS/AZE कार्यक्रम के निर्धारण में किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान –

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। यह अभियान दो चरणों में संचालित किया गया यथा – प्रथम चरण एक जुलाई से 08 जुलाई 2000 तक तथा दूसरा चरण 9 जुलाई से 15 जुलाई 2000 तक संचालित किया गया।

प्रथम चरण –

इस चरण का शुभारम्भ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया। उन्हें स्कूल चलो अभियान में योगदान देने तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण में सहायता करने हेतु उनका आह्वान किया गया। उसी समय विकास खंड स्तर पर ब्लाक/जिला पंचायत सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापकों तथा नवनिर्वाचित प्रधानों व सदस्यों के माध्यम से स्कूल चलो अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जुलाई से 08 जुलाई तक बाल गणना कराई गयी, जिसमें विशेष रूप से उन बच्चों को चिन्हांकित किया गया जो विद्यालय नही जाते हैं।

उक्त अभियान में शासन द्वारा नामित प्रभारी माननीय मंत्री श्री बाबू राम हरित जी द्वारा जनजागरण हेतु निकाली जाने वाली रैली को हरो झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व उन्होंने अपने सम्बोधन में बच्चों के विद्यालय में नामांकन बढ़ाने विशेष रूप से सभी बालिकाओं को विद्यालय लाने तथा उनके स्कूल में ठहराव पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर प्रत्येक विकास खण्ड एवं विद्यालय स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरियां निकाल कर जनजागरण का कार्य किया गया ताकि प्रत्येक अभिभावक शिक्षा का महत्व समझ सके और अपने बालक को विशेष रूप से अपनी बालिकाओं को जो विद्यालय के बाहर है स्कूल भेज सके।

इस अभियान के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम तथा न्याय पंचायत स्तर पर अध्यापकों, आंगनबाड़ी, कार्यकत्रियों, बहुउद्देश्यीय कर्मचारियों की टीमों का गठन किया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार के बच्चों के चिन्हांकन हेतु एक प्रपत्र दिया गया। इस प्रपत्र को ठीक से भरने हेतु यह निर्देश दिये गये कि वे प्रत्येक पंचायत में हर परिवार से सम्पर्क करके बच्चों का चिन्हांकन करें ताकि यह पता चल सके कि वे विद्यालय में नियमित रूप से जा रहे हैं अथवा स्कूल से बाहर हैं या किसी कारणवश विद्यालय में जाना छोड़ चुके हैं।

उपरोक्त टीमों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिये विकास खण्ड की सहायक विकास अधिकारियों तथा उनके समकक्ष अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई परिवार स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत आच्छादित

होने से छूट न गया हो। इस प्रकार जनपद के कुल 441 ग्राम सभाओं एवं नगरीय क्षेत्र के कुल 25 वार्डों के कुल 192314 परिवारों में बालगणना का कार्य किया गया। इसमें 6–14 वय वर्ग के कुल 237841 बच्चे चिन्हित किये गये जिसमें से 6–11 वय वर्ग 158226 के बच्चे थे।

द्वितीय चरण –

उपरोक्त सभी चिन्हित बच्चों का विद्यालय में नामांकन किया गया और जिन अभिभावकों के बच्चे विद्यालयों में नही जो रहे थे उन्हें विद्यालय भेजने हेतु अभिप्रेत किया गया। इस कार्य में संकुल प्रभारियों द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया गया इसी के साथ–साथ समय–समय पर जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्रामों का गहन भ्रमण किया गया। विद्यालय के बाहर बच्चों को विद्यालय में दाखिल करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में गोष्ठियां की गयी। ग्राम स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूक व्यक्तियों की टीम तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने घर–घर जाकर जन सम्पर्क किया। इसके फलस्वरूप द्वितीय चरण के समाप्त होने तक 6–11 वय वर्ग के कुल 129911 बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराया गया। इसी प्रकार 11–14 वय वर्ग के कुल 53087 बच्चों का नामांकन उच्च प्राथमिक स्तर में कराया गया। शेष 6–11 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले 28315 बच्चे एवं 11–14 वय वर्ग के 26528, जिसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है, उनका नामांकन सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कराया जायेगा।

वय वर्ग	कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय में जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6–11 वय वर्ग	82278	75948	158226	67554	62357	129911	14724	13591	28315
11–14 वय वर्ग	41400	38215	79615	27605	25482	53087	13795	12733	26528

"स्कूल चलो अभियान" के कारण "सर्व शिक्षा अभियान" के नियोजन में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई। स्कूल चलो अभियान के कारण जन जागरूकता एवं जन सहभागिता का जिले स्तर पर ब्लाक स्तर, न्याय पंचायत सतर पर पहले से ही अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सका।

"स्कूल चलो अभियान" के अन्तर्गत प्रमुख बल ठहराव में वृद्धि लाने विशेषकर बालिकाओं के ठहराव में पर दिया जाता है। और तद्नुसार अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाता है। जिसके लिए सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। आगे भी स्कूल चलो अभियान में मुख्य बल नामांकन की अपेक्षा बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि पर अधिक रहेगा ताकि नामांकित बालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात ही विद्यालय छोड़े।

पूर्व में बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित कार्यक्रम से सर्व शिक्षा अभियान में व्यापक अन्तर है यह एक युद्ध स्तर पर चलाया जाने वाला कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत निर्धारित समय में नामांकन का लक्ष्य पूरा करना अनिवार्य है साथ ही साथ शालात्यांग की दर को भी शून्य तक लाना मुख्य उद्देश्य है पूर्व में बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित कार्यक्रमों में शालात्याग शून्य करने के प्रयास किए गए परन्तु इसमें अपेक्षित सफलता प्राप्त नही हुई सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शत् प्रतिशत नामांकन एवं शालात्याग की दर 2003 तक शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर्वप्रथम जिले में अभियान की कार्य योजना तैयार करने हेतु एक सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया।

(1) प्राचार्य, डायट

(2) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

(3) लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा

(4) उप बेसिक शिक्षा अधिकारी

(5) जनपद से एक चयनित परियोजनाधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा)

(6) वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट

(7) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी

उक्त टीम ने सीमेट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया तथा योजना तैयार करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया। तत्पश्चात् जिले स्तर पर समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समन्वयकों की संयुक्त बैठक आहुत की गयी जिसमें परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के आधार पर बस्तियों की चिन्हांकन विकास खण्डवार असेवित बस्तियों, स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हिकरण, शालात्यागी बच्चों का चिन्हिकरण, काम काजी बच्चों का चिन्हिकरण किया गया। तत्पश्चात् कोर ग्रुप के सदस्यों ने चिन्हांकित बस्तियों में बैठक (एफजीडी) की जिसमें बस्ती विशेष की मूल समस्याएं उभर कर आयी जिसके आधार पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकताओं का आंकलन किया गया।

इसके पश्चात् ब्लाक स्तर पर प्रधानों की एक सम्मिलित बैठक बलाई गयी जिसमे समुदाय में शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं एवं सामुदायिक सहभागिता तथा शिक्षा के प्रति उनकी अपेक्षाओं से सम्बन्धित तथ्य उभरकर आये साथ ही शिक्षकों के साथ की गयी बैठक में समुदाय की अपेक्षाओं पर विचारा विमर्श किया गया एवं अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। इसके पश्चात् विकास खण्ड स्तर पर एक योजना तैयार की गयी जिसमें विकास खण्ड अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सहयोग लिया गया जिससे योजना को अन्तिम रूप दिया जा सका।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समन्वय बैठक की गयी जिसमें जिले की शिक्षा के परिदृश्य में समस्याओं एवं उसे समय सीमा के अन्दर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गयी। विभिन्न बैठकों (एफजीडी) में उभर कर आये मुद्दे तथा सुझाव निम्न सारणी में दिये गये है:—

नियोजन प्रक्रिया में जनसहभागिता हेतु कृतकार्यवाही का सारांश

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैठक/विचार–विमर्श में जो बिन्दु उभरे है उनका संक्षिप्त विवरण
13.2.2001	औरैया	कुल प्रतिभागी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी उपजिलाधिकारी औरैया जिला सूचना अधिकारी सहायक अभियन्ता (आर0ई0एस0) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–इटावा।	(क) जनपद में नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं नवाचार केन्द खोलने के लिए बस्तियों का एक बार पुनरीक्षण करना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई बस्ती नवीन असेवित न रह जाए। (ख) विद्यालय भवन निर्माण में अभियंता वर्ग द्वारा इस बात का अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि भवन भूकम्परोधी हो तथा निर्माण

		प्राचार्य. डायट अजीतमल प्रवक्ता. डायट अजीतमल सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त	कार्य में अभिभावकों की सहभागिता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। (क) योजना बनाने में बस्तियों के चिन्हांकन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
20.2.2001	इटावा/ औरैया	प्राचार्य डायट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-इटावा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी-इटावा/औरैया सहायक बे0शि0अ0 (समस्त)22 समन्वयक समस्त 15 जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी प्रवक्ता जी0आई0सी0 सदस्य. स्वयं सेवी संगठन सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	(ख) अभिभावकों की जागरूकता में कमी के कारण योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अभिभावक ज्यादा लापरवाह होते है जो अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजना चाहते है ऐसी स्थिति में अभिभावकों को भी समुचित रूप से अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रमों में जन समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
22.2.2001	गुनौली वि0स0 क्षे0 अछल्दा	सहा. बे. शिक्षा अधिकारी प्रधान -1 (पुरुष) महिलायें :- अनु जाति - 17 पिछड़ी जाति - 4. कुल - 21 पुरुष :- अनु जाति - 28 पिछड़ी जाति - 6 कुल - 34 शिक्षक - 4	(क) नवीन विद्यालयों की स्थापना की जाय। (ख) परिषदीय विद्यालयों मान्यता प्राप्त विद्यालयों की तरह आकर्षक बनायें। (ग) विकलांग शिक्षा के लिए केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव।
22.2.2001	अपुपुर वि.क्षे. सहार		(क) छात्रवृत्ति वितरण का स्तर बदला जाना चाहिए। बच्चों की शिक्षा की मांग को

		प्रधान 4 (2पु0+2म0) महिलायें – 15 अनु0जाति–11 पिछडी जाति–3 सामान्य – 1 पुरुष – 35 अनु0जाति–28 पिछडी जाति–4 सामान्य – 3	दृष्टिगत रखते हुए छात्रवृत्ति के स्थान पर सामान यथा ड्रेश (यूनीफार्म), बस्ता आदि विद्यालय से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। (ख) ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में ग्राम के जागरूक नागरिक जिनका लगाव शिक्षा क्षेत्र से हो अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए।
23.2.2001	बिनपुरापुर भाग्यनगर	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधान 3 (पुरुष) महिलायें – 12, अनु0जाति–7 पिछड़ी जाति–3 सामान्य–2 पुरुष – 27 अनु0जाति–21 पिछड़ी जाति–4 सामान्य – 2 अध्यापक – 8 पुरुष –6, महिला–2	(क) प्रधानों को शिक्षकों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए शिक्षा व्यवस्था में अपनी अहम् भूमिका निभानी चाहिए। (ख) अध्यापकों का ठहराव विद्यालय में अनिवार्य रूप से नियत कर देनी चाहिए। (ग) विद्यालयों का निरीक्षण माह में एक बार अनिवार्य कर दी जानी चाहिए साथ ही गुणवत्ता में सुधार न होने की स्थिति में सम्बन्धित अध्यापक को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
24.2.2001	कुसमरा वि.क्षे. बिधूना	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधान– 2 (पुरुष) महिलायें – 8 अनु0जाति–6 पिछड़ी जाति–2 पुरुष – 16 अनु0जाति–11 पिछड़ी जाति–2	(क) शिक्षाधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। (ख) अध्यापकों को एक विद्यालय में तीन वर्ष से अधिक एवं एक विकास खण्ड में पांच वर्ष से अधिक नहीं रखा जाना चाहिए।
25.2.2001	(कुचली) ऐरवा कटरा	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधान–3(पुरुष)महिलायें–14 अनु0जाति–7, सामान्य – 7 पुरुष – 7 अनु0जाति–2 पिछड़ी जाति–2 सामान्य –3	(क) अभिभावक बच्चों के प्रति उदासीन होते हैं। (ख) शिक्षक रूचि के साथ नहीं पढ़ाते है।
24.2.2001	अगावता	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधान–6(पुरुष–4, महि0 –2) महिलायें–14 अनु0जाति–10, सामान्य–4 पुरुष–25 अनु0जाति–18 पिछड़ी जाति–6, सामान्य–1	(क) बीहडांचल में वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए विशेषकर बालिकाओं के लिए। (ख) शिक्षा कार्य में लापरवाही बरतने वाले अध्यापक को दण्डित किया जाना चाहिए साथ ही साथ अभिभावकों को भी दण्डित किया जाना चाहिए।

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैठक/विचार-विमर्श में जो बिन्दु उभरे हैं, उनका संक्षिप्त विवरण
10.2.2001	मानधवन (सहार)	पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रधान-3 (2 पुरूष + 1 महिला) अभिभावक-17(8पुरूष+9महिला) पुरूष-8 अनु0जाति- 4 पिछड़ी जाति-4 महिला-9 (सभी अनु0जाति) शिक्षक-6 (सभी सामान्य)	(1) गुणवत्ता का स्तर अभी भी वांछित स्तर पर नहीं पहुँच पाया है इस दिशा मे सार्थक प्रयास करने चाहिए। (2) विकास खण्ड स्तर पर शिक्षकों का दण्ड एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व ब्लांक स्तर के अधिकारी का होना चाहिए। (3) नीरस शिक्षण विधि को दूर की जानी चाहिए
10.2.2001	मनुपुर (सहार)	सहायक विकास अधिकरी(सांख्यकीय) प्रधान-2 (सभी पुरूष) बी0डी0सी0 सदस्य-2 अभिभावक-12 (9पुरूष+3महिला) पुरूष-9 अनु0जाति-6 पिछड़ी जाति-2 सामान्य-1 महिला-3(सभी अनु0जाति) शिक्षक-4(सामान्य-2+पिछड़ी-2)	(1) बच्चों को खेल-खेल में प्रभावी शिक्षा दी जानी चाहिए। (2) प्रारम्भिक शिक्षा में सैद्धान्तिक का प्रतिशत कम व्यावहारिक/प्रायोगिक का प्रतिशत ज्यादा होनी चाहिए। (3) बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण विधिवत् कराया जाए।
22.2.2001	खलरा (अछल्दा)	(1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (2) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी (3) खण्ड विकास अधिकारी (4) पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रधान-7 (सभी पुरूष) बी0डी0सी0 सदस्य- 1 अभिभावक-18 (9पुरूष+9महिला) अनु0जाति-6 पिछड़ी जाति-1 सामान्य- 2 महिला- 9 अनु0जाति-9	(1) महिलाओं की सामाजिक स्थिति विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी निम्न स्तर का है जिससे वे बालिकाओं के साथ भेदभाव करती हैं। महिला जागरूकता के अन्तर्गत उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित की जानी चाहिए। (2) बच्चों को छात्रवृति की धनराशि नकद न देकर उनकी शिक्षा की मांग को दृष्टिगत रखते हुए सामान दी जानी चाहिए। (3) शिक्षा के प्रति उदासीन अभिभावकों को दण्डित की जानी चाहिए।

22.2.2001	वंरियापुर (अजीतमल)	पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत औरैया पूर्व सदस्य-जिला पंचायत औरैया सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधान-6 (पुरूष-4+महिला-4) पुरूष-4 अनु0जाति-2 पिछड़ी जाति-2 सामान्य-1 महिला-4 पिछड़ी जाति-2 अनु0जाति-2 शिक्षक-4 अभिभावक-18(सभी पुरूष)	(1) अध्यापकों की कमी (2) नीरस शिक्षण विधि (3) दस्यु प्रभावित क्षेत्र में अभिभावक विशेषकर बालिकाओं के प्रति असुरक्षा की भावना महसूस करते हैं इससे नामांकन एवं ठहराव दोनों पर प्रतिकूल असर पडता है। (4) बीहड़ांचल में अनिवार्य रूप से आसपास का ही अध्यापक नियुक्त की जानी चाहिए। चूंकि दूर के अध्यापक बीहड़ांचल में योगदान नहीं करते है। तथा इन क्षेत्रों में अध्यापकों की बराबर कमी बनी रहती है ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा मित्र की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए।
22.2.2001	बरमूपुर (औरैया)	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधान-2 (सभी पुरूष) अभिभावक-18(पुरूष-10+महिला-8) पुरूष- 10 अनु0जाति-5 पिछड़ी जाति-2 सामान्य-3 महिला-8 अनु0जाति-6 पिछड़ी जाति-2	(1) अध्यापकों का ठहराव एक विद्यालय में तीन वर्ष से अधिक तथा एक विकास खण्ड में सात वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। . (2) अध्यापकों को, अध्यापन कार्य में लापरवाही होने पर जिम्मेवार ठहराना चाहिए। (3) अध्यापकों को केवल शिक्षण कार्य मे ही लगाया जाना चाहिए।
23.2.2001	खरका (औरैया)	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधान-6(सभी पुरूष) अभिभावक-18 (पु-11+म0-7) पुरूष-11 अनु0जाति-6 पिछड़ी जाति-4 सामान्य-1 महिला-7 अनु0जाति-4 सामान्य-3	(1) प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। (2) भवन निर्माण का कार्य अध्यापकों से नहीं कराया जाए। (3) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय से कराया जाए। (4) पाठ्यक्रम की जानकारी का अभाव।

सोशल एसेसमेंट स्टडी :—

कानपुर नगर में सोशल एसेसमेंट स्टडी जो डा0 (श्रीमती) राका सरन, आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा किया गया, से ज्ञात होता है कि समाज के उपेक्षित वर्ग के बच्चे स्कूल से बाहर हैं; जिनके विद्यालय से सम्बन्धित सामाजिक एवं पारिवारिक कारण हैं, इनके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:—

1. अध्ययन से पता चलता है कि कानपुर में सभी वर्गों गरीब—अमीर, हिन्दू—मुसलमान, श्रमिक, किसान, और नौकरी पेशा की जनसंख्या से ड्रापआउट आया है। इसलिए ये केवल समाज के उपेक्षित वर्ग से ही नहीं बल्कि सभी के बीच से है।

2. विद्यालय छोड़ देने वाली अधिकांश बालिकायें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक होती हैं परन्तु कुछ सामाजिक कारणों अथवा विद्यालयों में अध्यापकों के प्रतिकूल व्यवहार, अलग शौचालयों का न होना तथा घर से विद्यालयों की दूरी आदि कारणों से उन्हें विद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

3. ह्रास—अवरोध (ड्राप आउट) वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के माता—पिता विद्यालयों में बच्चों से निम्न स्तर के कार्य कराये जाने के कारण उन्हें विद्यालय जाने से रोक लेते हैं। उनके माता—पिता ने अनुभव किया कि निम्न स्तर के कार्य करने से उनके बच्चे उच्च स्तर की अपेक्षा हीन सामाजिक स्थिति में पहुँच जायेंगे।

4. अभिभावक सहशिक्षा वाले विद्यालयों, जो जिले के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में लागू है, में अपनी लड़कियों को भेजने में संकोच करते हैं। गाँवों में बच्चे बड़ती उम्र में विद्यालय जाना प्रारम्भ करते हैं और कक्षा—3 या 4 तक पहुँचते—पहुँचते वे 12—13 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में, किशोरावस्था में पहुँच जाते हैं। इस अवस्था में मुस्लिम तथा कुछ रूढ़ेवादी परिवार जैसे—यादव, लड़कियों को लड़कों के साथ रहना पसन्द नहीं करते है। और इस प्रकार लड़कियों को शिक्षा पूर्ण किये बिना ही रोक दिया जाता है। ग्रामीण, परम्परावादी तथा रूढ़िवादी होते हैं। इसलिए 10—14 वर्ष की बालिकायें अधिक मात्रा में विद्यालय छोड़ देती हैं।

5. हमारी खोजों ने सुझाया कि कानपुर में विभिन्न अध्ययनों द्वारा सुझाये गये आर्थिक कारणों से बालिका ड्राप आउट प्रभावित नहीं है, बल्कि इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, अधिकांश परिवारों में बालकों का विद्यालय जाना जारी रहता है जबकि बालिकाओं को विद्यालय जाने से रोक दिया जाता है। दूसरे, इन परिवारों की आय खर्च वहन कर सकने योग्य है क्योंकि इनकी आमदनी 1500 से 3000 रूपये प्रतिमाह की है इसलिए वे अपने लड़कों के साथ लड़कियों को भी स्कूल भेज सकते हैं। यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा परियोजना (बी0ई0पी0) में लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क है, इसलिए लड़कियों के ड्रापआउट का कारण आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक मान्यतायें हैं, जिसके कारण लड़कियों के अभिभावकों में इच्छा शक्ति का अभाव है।

6. स्कूल छोड़ने वाले लगभग 40 प्रतिशत बच्चों से यह पता चलता है कि उन्होंने घरेलू कार्यों अथवा मजदूरी के कारण विद्यालय छोड़ा है। इससे यह पता चलता है कि कार्य करने की उम्र पर पहुँचने पर बच्चों के माता—पिता उन्हें विद्यालय से हटा लेते हैं। बहुत से अभिभावकों ने बताया कि उनका अनुभव है कि शिक्षा का उनके लिए विशेष उपयोग नहीं है बल्कि घरेलू कार्यों में और आमदनी बढ़ाने वाले

PRASHANT

कार्यों में बच्चों की आवश्यकता है। अभिभावकों ने अनुभव किया कि यदि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाये तो यह उनके भविष्य के लिए अधिक उपयोगी होगी।

7. बहुत से बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि दूरी के कारण उनके बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। जब एक दिन में बच्चों के द्वारा तय की गयी दूरी का हमने आंकलन किया, तो यह पाया कि यह 3 या 4 किमी0 हो जाती है। 11–12 वर्ष के बच्चे के लिए यह दूरी तय करना कठिन कार्य है इसलिए अधिकांश संख्या में बच्चे पाँचवी कक्षा पास करने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं।

8. बच्चों को पढ़ने–लिखने और रटने तक सीमित रखने वाली वर्तमान शिक्षा विधि भी ड्राप आउट का कारण है। अध्ययन से पता चला कि कुल बच्चों में केवल 12 प्रतिशत बच्चे ही इस विधि से संतुष्ट हैं जबकि 88 प्रतिशत बच्चों को इस शिक्षण विधि से कठिनाई होती है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि वर्तमान शिक्षण विधि दोषपूर्ण है और यह भी ड्रापआउट को बढ़ावा दे रही है।

9. ड्राप आउट वाले बच्चों की कठिनाई का दूसरा कारण पाठ्य–पुस्तकों द्वारा कराये जाने/पढ़ाये जाने वाले कक्षा कार्य की हैं। ग्रामीण अंचलों से आने वाले प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए कोई विशेष पाठ्य–पुस्तकें नहीं हैं। इन प्राथमिक विद्यालयों में वही पाठ्य–पुस्तकें पढ़ायी जाती हैं, जो राज्य सरकार के अन्य शहरी स्कूलों में पढ़ायी जाती हैं ये पाठ्य–पुस्तकें शहरी लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गयी हैं। सांस्कृतिक रूप से उपेक्षित वर्ग के बच्चे इन पुस्तकों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। अध्यापकों और अभिभावकों ने बताया कि विद्यार्थी इन पुस्तकों की भाषा समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। चूंकि ये पुस्तकें उनके सामाजिक वातावरण से मेल नहीं खाती हैं इसलिए ये बच्चों में रुचि पैदा करने में असमर्थ हैं। यह व्यर्थ की बात है कि इन विद्यालयों के बच्चे उपेक्षित और कृषक वर्ग से आते हैं, बल्कि पुस्तकें उन्हें उनकी योग्यता–क्षमता के अनुरूप शिक्षा नहीं दे पा रहीं है। बच्चों को दो तरह की दुनिया के बीच उलझना पड़ता है। एक, उनकी संस्कृति पर आधारित और दूसरी, शहरी संस्कृति पर आधारित। पुस्तकें अधिक मात्रा में शहर आधारित हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्यालयीय शिक्षा से रूचि खो देते है।

10. विद्यालयीय पाठ्य सहगामी और पाठ्येतर क्रिया कलाप बच्चों को न केवल सामाजिक और बौद्धिक विकास के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि वे स्कूल के प्रति उनकी रूचि को बढ़ाते हैं एवं विद्यालय और समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि इन क्रिया कलापों में सहभागित्व विद्यार्थियों के सामाजिक कार्य व्यवहार के प्रकार पर भी निर्भर करता है। केवल 35 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया कि उन्होंने विद्यालय के आन्तरिक खेल–कूदों में भाग लिया जबकि 65 प्रतिशत विद्यार्थियों ने किसी भी प्रकार की क्रिया–कलाप में भाग लेने से वंचित बताया। इससे स्पष्ट होता है कि ड्राप आउट वाले अधिकांश बच्चे विद्यालयों में पाठ्येतर क्रियाकलापों जिन्हें शिक्षा के साथ आवश्यक समझा गया से वंचित रहते हैं।

11. उल्लेखनीय है कि सोशल एसेसमेंट स्टडी में निकाले गये कानपुर की शैक्षिक समस्याओं के विषय में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं उनको ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान की रणनीतियाँ एवं कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं।

डॉ0 (श्रीमती) रश्मि सरन, आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा जनपद कानपुर नगर में सोशल एसेसमेंट स्टडी में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं, वह जनपद औरैया में भी लागू होते हैं। अतः सभी सुझावों को सर्व शिक्षा अभियान में अपनाई गई रणनीति तथा कार्यक्रम तैयार करते समय समावेश कर लिया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यकम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिंक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथनिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

(F) **विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय**

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) **उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय**

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) **युवा कल्याण विभाग से समन्वय**

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) **पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय**

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) **जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय**

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उददेश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षों में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ...1.7... % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया हैं। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – औरय्या

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	92965	82571	175536	69720	65604	135324	77
2001-02	94544	83975	178519	83198	73898	157096	88
2002-03	96151	85403	181554	95189	84549	179738	99
2003-04	97786	86855	184641	107565	95540	203105	110
2004-05	99449	88331	187780	114366	101581	215947	115
2005-06	101139	89833	190972	118333	105104	223437	117
2006-07	102859	91359	194218	122402	108717	231119	119
2007-08	104607	92913	197520	125528	111496	237024	120
2008-09	106386	94491	200977	127663	113509	241172	120
2009-10	108194	96099	204293	129833	115318	245151	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – औरय्या

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	40304	33184	73488	28755	26544	55299	75
2001-02	40988	33749	74737	32790	26999	59789	80
2002-03	41685	34323	76008	35432	29174	64606	85
2003-04	42394	34906	77300	38154	31416	69570	90
2004-05	43114	35500	78614	40958	33725	74683	95
2005-06	43847	36103	79951	43847	36103	79951	100
2006-07	44592	36717	81319	46821	38564	85385	105
2007-08	45351	37341	82692	48525	39955	88480	107
2008-09	46122	37976	84098	50273	41394	91667	109
2009-10	46907	38621	85528	51598	42482	94080	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	34
2001-02	30
2002-03	26
2003-04	21
2004-05	16
2005-06	11
2006-07	5
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	0

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

अध्याय– 5
समस्यायें व रणनीतियाँ

जनपद मे सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत रूप में तथा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करते हुए अपनायी गयी है। इस अभियान के अन्तर्गत बच्चों को शिक्षा की धारा में लाये जाने पर, बच्चों को विद्यालय/वैकल्पिक केन्द्रों में ठहराव बनाये रखने पर एवं गुणवत्ता में सुधार लाये जाने पर विशेष बल दिया जायेगा। इस हेतु शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गो, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि से चर्चा में जो समस्यायें उभरकर आयी। उनके समाधान हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली रणनीतियां निम्न सारणी में वर्णित की गई है।

	मुख्य समस्याएं	रणनीतियाँ
शिक्षा की पहुंच सम्बन्धी	1. अभिभावकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी। 2. बालिकाओं के प्रति असरुक्षा की भावना। 3. संसाधनों की कमी	1. सामुदायिक सहभागिता का अधिक से अधिक कार्यक्रमों में समावेश किया जायेगा । 2. सामाजिक चेतना बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय किये जायेंगे ताकि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। 3. बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर ही व्यायाम शिक्षा का योजना में समावेश किया जायेगा। 3. मानक के अनुरूप संसाधनों की कमी की पूर्ति की जायेगी। 4. स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा।
नामांकन संबंधी	1. शिक्षाका रोजगार परक न होना। 2. रूढ़िवादी अल्पसंख्यक समुदाय में बुनियादी शिक्षा के प्रति उदासीनता। 3. विद्यालयों की उपलब्धता में कमी	1. शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए कार्ययोजना में विशेष पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाएगा। 2. रूढ़िवादी समुदाय को जागरूक किया जायेगा। 3. मानक के अनुरूप विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। 4. ग्राम शिक्षासमिति में विशेष रूप से महिला सदस्यों का सहयोग लिया जायेगा।

ठहराव सम्बंधी	1. विद्यालयी सुविधा में कमी। 2. बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों में कमी 3. विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का अभाव। 4. शिक्षिकाओं का महिलाओं से संपर्क न होना। 5. अध्यापकों का अध्यापक कार्य के प्रति रूझान कम होना।	1. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। 2. योजना मे बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों का समावेश किया जायेगा। 3. योजना मे समेकित शिक्षा का समावेश किया जायेगा। 4. अध्यापकों को तीन वर्ष में एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में एवं 10 वर्ष में एक वि0क्षे0 से दूसरे वि0क्षे0 में स्थानान्तरण करने का प्राविधान किया जायेगा ।
गुणवत्ता संबंधी	1. अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो का किया जाना। 2. अध्यापकों की कमी। 3. प्राथमिक स्तर पर बहुकक्षा शिक्षण प्रणाली का अभाव। 4. सहायक सामग्री के समुचित प्रयोग का अभाव।	1.अध्यापकों की पूर्ति के लिए मानक के अनुरूप शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का प्राविधान किया जायेगा। 2. प्राथमिक स्तर पर बहु कक्षा शिक्षण प्रणाली की स्थापना की जायेगी। 3. विज्ञान/गणित किट के समुचित प्रयोग के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
संस्थागत	1. शिक्षकों का प्रशिक्षित मानकों के अनुरूप न पढ़ा पाना। 2. निरीक्षण की संख्या कम होना। 3. वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुकूल शिक्षा न होना।	1. पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा। 2. निरीक्षण व्यवस्था को गति एवं समयबद्ध किया जायेगा। 3. कम्प्यूटर शिक्षा एवं अन्य उपयोगी विषयों को पाठ्यक्रम में लाया जायेगा।

अध्याय– 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार– नवीन औपचारिक विद्यालय

जनपद में बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रारम्भ वर्ष 98 से सन् 2000 तक कुल 410 प्राथमिक विद्यालय निर्मित हुये तथा 174 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण हुआ। पूर्व मे निर्धारित मानकों के अन्तर्गत कुछ असेवित बस्तियाँ जनसंख्या मानक पूरा न कर पाने के कारण छूट गयी थी। वर्तमान में इन असेवित बस्तियों की आबादी मानक के अनुरूप है। अतः यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय खोला जाना न्याय संगत है।

असेवित बस्तियाँ

जनपद में 28 बस्तियों में जिनकी आबादी 300 से ऊपर है तथा 1.5 किमी की परिधि में प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन बस्तियों का विकास खण्डवार विवरण संलग्नक में दिया गया है साथ ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात मानक के अनुसार 198 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी।

शिक्षक

शिक्षा की पहुंच के विस्तार हेतु जनपद में नवीन विद्यालयों में 28 शिक्षकों एवं 28 शिक्षा मित्रों की आवश्यकता होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये एक प्रधानाध्यापक एवं चार सहायक अध्यापक की दर से 198 प्रधानाध्यापक एवं 792 सहायक अध्यापक की आवश्यकता पड़ेगी।

शिक्षण सामग्री / काष्ठोपकरण

प्राथमिक स्तर–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपभोग बी0ई0पी0 की भांति सर्व शिक्षा अभियान में भी किया जायेगा। इस धनराशि से निम्न सामग्री का क्रय किया जायेगा– मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्युपमेन्ट– ढोलक, मजीरा, हार्मोनियम, बांसुरी आदि। क्रीड़ा सामग्री– फुटबॉल, वॉलीबाल, हवा भरने का पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायरयुक्त कूंदने की रस्सी। क्लासरूम टीचिंग मैटीरियल– गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञानकोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि। उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। 1. प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम की दो प्रतियां। 2. कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों का एक सेट। 3. अध्यापक संदर्शिकाओं का एक सेट। 4. शब्दकोष– हिन्दी, अंग्रेजी–2 5. एटलस। 6. अध्यापकों के लिये विश्वकोष। 7. इसके अतिरिक्त 9 चार्ट 15 मानचित्र (भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, विश्व, एशिया, भारत, राज्य, जिला), ग्लोब, विज्ञान किट, गणित किट, ऑडियो कैसिट, प्लेयर टूइनवन। 8. क्रीड़ा सामग्री– फुटबॉल, वालीबॉल, स्कीपिंग रोल, एयरपम्प, डम्बल्स, हार्मोनियम, ढोलक, बांसुरी, मजीरा। 9. काष्ठोपकरण– कुर्सी, मेज, (प्रत्येक अध्यापक के लिये) 10. अन्य सामग्री– बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, अलमारी, दरी, पत्र–पत्रिकायें (विज्ञान प्रगति, आविष्कार, बालभारती एवं एक दैनिक समाचार पत्र)। उपरोक्त सभी सामग्रियों का क्रय ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा।

प्रस्तावित कार्यक्रम का वर्षवार नियोजन

जनपद के कुल 13 असेवित बस्तियों में जिनकी आबादी 300 से अधिक है 2001–2002 में प्राथमिक विद्यालय खोने का लक्ष्य रखा गया है। 2002–2003 तक 15 असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य है। इस प्रकार वर्ष 2003 तक 28 असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएगें। स्थल चयन से लेकर निर्माण कार्य के लिए ग्राम शिक्षा समितियां का वांछित सहयोग लिया जाएगा। इन नवीन विद्यालयों के लिए वर्ष 2001–2002 में 13 परिषदीय अध्यापक एवं 13 शिक्षा मित्र की नियुक्ति का प्राविधान किया जाएगा। जबकि वर्ष 2002–2003 तक 13 + 15 = 28 परिषदीय अध्यापक एवं 13+15 शिक्षा मित्र रखे जाने का प्राविधान किया जाएगा। वर्ष 2002–07 की अवधि में 30 नवीन प्राथमिक विद्यालय असेवित बस्तियों में स्थापित किये जाने का वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर (1:2) के मानक में वर्ष 2001–2002 में 50, 2002–2003 में 50, एवं 2003-2004 में 98 अर्थात् 2004 तक कुल 198 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2001–2002 में 250 अध्यापक, 2002–2003 में 250 अध्यापक, 2003-2004 में 490 अध्यापक अर्थात् 2004 तक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 990 अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी। इन 990 अध्यापकों में 198 प्र0अ0 एवं 720 स0अ0 होंगे। वर्ष 2002–07 की अवधि में 138 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का वित्तीय प्राविधान रखा गया है जो मानक के अनुसार असेवित बस्तियों, जिनमें कक्षा–5 उत्तीर्ण कम से 25 बच्चें उपलब्ध हों, में खोले जायेंगें।

शैक्षिक सुविधाओं हेतु सर्वेक्षण

जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता तथा विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु प्रति वर्ष एक त्वरित सर्वेक्षण कराया जायेगा। जिसके आधार पर आगामी वर्ष में बजट एवं कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य हेतु रूपया 2 लाख का वित्तीय प्रावधान किया जायेगा।

सारणी – 6.1

वर्ष	प्राथमिक विद्यायल	योग	उच्च प्राथमिक विद्यायल	योग
[illegible]	–	–	–	–
2001–02	13	13	50	50
02–03	15	15	50	50
03–04	–	–	98	98
04–05	–	–	–	–
05–06	–	–	–	–
06–07	–	–	–	–
07–08	–	–	–	–
08–09	–	–	–	–
09–10				
महायोग		28	–	198

संलग्नक

शेष असेवित बस्तियाँ जहाँ नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है।

1. अछल्दा	1. खलरा
	2. जागूपुर
	3. कंधिया
	4. शाहपुर
2. सहार	5. गानधवन
	6. अण्डा
	7. मुनियापुर
3. भाग्यनगर	8. शाहपुर
	9. मिश्रीपुर
	10. चिरैयापुर
	11. कुठरी
4. अजीतमल	12. शाला
	13. नगला सहलू
	14. मानिकपुर
	15. अड्डा पीतम
	16. खुशालपुर
5. एरवाकटरा	17. रतनगोपियापुर
	18. बेलझाली
6. औरैया	19. गंगदासपुर
	20. भैरोंपुर
	21. मंसुखपुर
	22. नगला चिंतई
	23. पूर्वा उम्मेद
	24. डेरा बंजारन
7. विधूना	25. पृथ्वीपुर
	26. ढिपारा
	27. धर्मपुर
	28. पूर्वा दीक्षित

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

NIEPA National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11484
DOC, No 09-07-2002
Date........

अध्याय–7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार II

जनपद में सर्वशिक्षा हेतु शिक्षा गारन्टी एवं नवाचार शिक्षा योजना की संभावनायें–

जनपद में 6 से 11 वयवर्ग में सकल नामांकन 85.53 प्रतिशत है। जिसके सापेक्ष 33.40 प्रतिशत ड्रॉप आउट है एवं 11 से 14 वयवर्ग मे कुल छात्र नामांकन 69.46 प्रतिशत है, जिसके सापेक्ष 30.54 प्रतिशत ड्रॉप आउट है। इस प्रकार शालात्यागी बच्चों की पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि अधिकांश बच्चे इनमें कामकाजी है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनपद में शिक्षा गारन्टी एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रो की महत्वपूर्ण भूमिका की आवश्यकता है।

सूक्ष्म नियोजन का आधार–

सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद में सूक्ष्म नियोजन कराया गया था। उसी को आधार मानकर विकास खण्डवार निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें संकलित की गयी है। उपरोक्त माइक्रो प्लानिंग एवं सर्वेक्षण द्वारा जो आंकड़े उपलब्ध हुए है उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है। अतः सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001–2002 में पुनः ग्राम/बस्तीवार परिवार सर्वेक्षण कराया जायेगा ताकि उन सभी बच्चों को चिन्हित किया जा सके। जो किन्हीं कारणों से विद्यालयी शिक्षा से वंचित अथवा दूर है। किसी भी योजना की सफलता उसके नियोजन पर निर्भर करती है। ये सर्वेक्षण इसलिये भी आवश्यक है कि जैसे–जैसे परियोजना वर्ष 2002–2003 में एवं इसके बाद आगे बढ़ती जायेगी, ई0जी0एस0, ए0आई0ई0, ग्रीष्म शिविर आदि कार्यक्रमों को बच्चों के लक्षित/चिन्हित समूह पर केन्द्रित किया जा सकेगा।

जनपद में ऐसी असेवित बस्तियां जिनकी आबादी 300 से कम है तथा 1 किमी0 की परिधि में औपचारिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है ऐसी बस्तियों में शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत विद्या केन्द्र (ई0जी0एस0) खोले जाने का लक्ष्य है साथ ही साथ 300 आबादी से अधिक ऐसी बस्तियां जहां पर नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है। ऐसी बस्तियों में भी विद्यालयों का निर्माण कार्य होने तक ई0जी0एस0 केन्द्र संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनपद औरैया में सात विकास खण्ड है। विकास खण्ड औरैया, अजीतमल, भाग्यनगर सहार, ऐरवाकटरा, बिधूना, अछल्दा है। विकास खण्ड औरैया और अजीतमल का दक्षिणी क्षेत्र बीहड़ बाहुल्य है एवं शैक्षिक स्तर निम्न है। बीहड़ नदियों का किनारा व बीहड़ मे रहने वाले दस्युओं के भय से जनसमुदाय बच्चों को विद्यालय भेजने से डरता है साथ ही जनपद का दूरस्थ विकास खण्ड ऐरवाकटरा में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विद्यालय पहुंच से दूर हैं। शेष चार विकास खण्डों में शिक्षा का स्तर औसत है विकास खण्ड अछल्दा एवं ऐरवाकटरा में महिलाओं की साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम है।

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक/नवाचार योजना में लाभान्वित करने का लक्ष्य 6–14 वय वर्ग के बच्चे हैं। विकलांग बच्चों की आयुसीमा 18 वर्ष तक है।

इस योजना के अन्तर्गत 6–11 वय वर्ग के बच्चों को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में पंजीकृत कराया जायेगा अथवा EGS केन्द्र में प्रवेश दिलाया जायेगा। 9–14 वय वर्ग के बच्चे जो पूर्व में ही विद्यालयों से ड्राप आउट हो चुके हैं अथवा कभी भी विद्यालय में पंजीकृत नहीं हुए हैं। सड़क छाप बच्चों व घुमन्तू बच्चों के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों अथवा ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा में औपचारिक विद्यालयों में किसी भी कक्षा में किसी भी समय, जिसके लिए बच्चे उपयुक्त होगे, प्रवेश दिलाना ही मुख्य उददेश्य होगा।

सर्वेक्षण / चिन्हांकन

ऐसी असेवित बस्तियों में जहाँ 1 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय नहीं है 6–11 वय वर्ग के 30 बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा 1 और 2 के लिए ईजीएस केन्द्र खोले जायेंगे। वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का निर्धारण माइक्रोप्लानिंग के आधार पर किया गया है। प्रथम चरण में जिस क्षेत्र विशेष में ईजीएस केन्द्र खोला जाना विचाराधीन होगा वहाँ पर एआईई केन्द्रों के खोलने पर सम्प्रति विचार न किया जायगा क्योंकि सर्वप्रथम यह प्रयास किया जायेगा कि प्रत्येक बच्चा औपचारिक विद्यालयों में अथवा ईजीएस केन्द्रों में प्रवेश ले ले। विशेष परिस्थितियों में ही ऐसे स्थानों पर एआईई केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जायेगा। जनपद स्तर के प्रस्ताव जिसमें स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्ताव भी सम्मिलित होगे।

ड्रॉप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण झेंप / मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, कामकाजी तथा बाल –श्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वेकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों, अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन शिविरों तथा दीर्घकालीन शिविरों, ब्रिज कोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतबों / मदरसों में बालक / बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उददेश्यों से इनके क्षेत्रों में भी एआईई योजना की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यतः झुग्गी–झोपड़ी, मलिन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थलों आदि, जहाँ पर 9–14 वय वर्ग के ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चे उपलब्ध होंगे, वहाँ नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेंगे। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय किया जा सकता है तथा इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गो के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई (जिस स्तर के बच्चे होगें) पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा के प्राथमिक विद्यालय में किसी भी उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिये निकट के प्राथमिक विद्यालय / उच्च

प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रवेश दिलाये जाने की व्यवस्था सम्पन्न करायी जायेगी जिससे ये बच्चे अतिशीघ्र मुख्य धारा में शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ कर दें।

रणनीति

सर्व शिक्षा योजना अन्तर्गत शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र के मध्यम से स्कूल न जाने वाले 6 से 8 तथा 9 से 14 वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें 2003 से 2007 तक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र हेतु समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों में अध्ययन करने वाले छात्र किसी भी समय मुख्य धरा से जुड़ सकते है। जिस योग्य वे हैं।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन करते समय निम्न क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी :-

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र।
2. ऐसे क्षेत्र जहां बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो।
3. ऐसे क्षेत्र जहां ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो।
4. ऐसे क्षेत्र जहां स्ट्रीट चिन्ड्रेन, बाल श्रमिक एवं खतरनाक, गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अत्यधिक हो;
5. ऐसे क्षेत्र जहां प्राथमिक विद्यालय/शिक्षा गारण्टी योजना के विद्यालय न हों।
6. निर्माणाधीन प्राथमिक विद्यालय निर्माणाधीन वर्ष में (EGS) केन्द्र खोले जायेंगे।

केन्द्रों का संचालन स्थल ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुतियों पर पंचायत भवन, चौपाल अथवा किसी विवाद रहित स्थान पर किया जा सकता है जो पहुंच की दृष्टि से पूर्व संदर्भित वंचित वर्ग के बच्चों के लिये उपयुक्त हो।

केन्द्र संचालन का समय

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि को

नहीं रखा जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन 4 घंटे संचालित किये जायेंगे।

अनुदेशक चयन

अनुदेशक यथासम्भव उसी स्थान एवं समुदाय के उपयुक्त होगा जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना हो उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा सनिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा तत्पश्चात् अनुदेशक को आमंत्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की.स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम समिति शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

प्रस्तावों का संकलन

माइक्रोप्लानिंग से संबंधित पत्रजातों का विश्लेषण एवं समीक्षा करने के पश्चात् ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों को विकास खण्ड स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष, विकास खण्ड अधिकारी तथा सदस्य सचिव, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उपविद्यालय निरीक्षक तथा विकास खण्ड का ग्राम प्रधान एवं एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होंगे, के द्वारा तैयार प्रस्तावों की समीक्षा कर भारत सरकार के निर्देशानुसार उनकी समीक्षा कर प्रस्तावों का संकलन करेगी, तत्पश्चात् अपनी संस्तुति सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक

एवं

नवाचार शिक्षा योजना

हेतु चिन्हित स्थानों का विवरण

सारणी– 7.1

विकास खण्ड का नाम	पहचान किये गये केन्द्रों की संख्या	
	E.G.S	A.I.E. नवाचार नाम
1. सहार	25	–
2. अछल्दा	12	5
3. भाग्यनगर	23	39
4.बिधूना	36	5
5.एरवाकटरा	34	24
6.औरैया	21	31
7.अजीतमल	24	14
8.नवीन विद्यालय स्थलों पर	28	–
योग	241	118

स्रोत अद्यतन सर्वेक्षण सूची संलग्न है

केन्द्र खोले जाने की प्रक्रिया

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन, जिला बेसिक अधिकारी, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, सभासद संबंधित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतव/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मोलवी अथवा हाफिज़ द्वारा अनुदेशक होने की स्थिति में मकतबों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा संबंधित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो, को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों में

अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रस्तावित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय को अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के संबंध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति संबंधित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी, यदि आवश्यक हुआ तो, सम्मिलित किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिये। जहां पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हों वहां पर इन्टरमीडियट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक का प्रशिक्षण

एस0सी0 आर0टी0 द्वारा विकसित माड्यूल के अनुसार डायट पर 30 दिन का प्रशिक्षण होगा। उच्च प्राथमिकता का प्रशिक्षण 40 दिन का होगा। प्रशिक्षण के उपरान्त उनका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। प्रशिक्षण में पूरे समय भाग न लेने या असत्य होने पर नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

शिक्षण: अधिगम सामग्री की व्यवस्था

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित की जाएगी, ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री का बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सभी अनुदेशकों को उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएगी।

पर्यवेक्षण की व्यवस्था

पर्यवेक्षण हेतु मानक तथा पर्यवेक्षण की प्रणाली :-

(1) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रतिदिन।

(2) बी0आर0सी0 समन्वयक– 10 प्रतिमाह।

(3) एन0पी0आर0सी0 समन्वयक सप्ताह में एक बार प्रत्येक केन्द्र।

(4) सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उपविद्यालय निरीक्षक– 5 प्रतिमाह।

(5) विकास खण्ड अधिकारी– 5 प्रतिमाह।

(6) बेसिक शिक्षा अधिकारी– 5 प्रतिमाह।

(7) जिला प्रशासन – 2 प्रतिमाह।

(8) मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक– 2 प्रतिमाह।

अनुश्रवण की व्यवस्था

प्रत्येक केन्द्र से वहाँ उपस्थित छात्र–छात्राओं की उपस्थिति ड्राप आउट की स्थिति, ड्राप आउट को पुनः केन्द्र पर लाने की स्थिति, शैक्षिक स्तर मुख्य धारा से जुड़ाव, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, केन्द्र स्थल का रखरखाव सामुदायिक सहभागिता, निरीक्षण,मूल्यांकन तथा उनकी अन्य कठिनाइयों, बैठकों के आंकड़ों का संकलन मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक बैठकों में विकास खण्ड स्तर पर किया जाएगा।

प्रधान,बी0डी0सी0 सदस्य, ब्लॉक प्रमुख तथा अन्य जन प्रतिनिधियों को संचालित केन्द्रों की सूची अनुदेशक के नाम, स्थल, व समय के उल्लेख के साथ अवश्य उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और उनका सहयोग भी लिया जा सके। उस क्षेत्र के निकटवर्ती विद्यालय में बाहर बोर्ड पर केन्द्र का नाम, अनुदेशक का नाम, समय व स्थान अंकित किया जाएगा। जिससे जनसमुदाय को सम्पूर्ण जानकारी रहे।

शिक्षा गारन्टी योजना/नवाचार केन्द्रः—

जनपद में 6–14 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 237841 है इनमें से 190623 बच्चे विभिन्न मान्यता प्राप्त/परिषदीय/राजकीय संस्थाओं में नामांकित है। शेष 47218 बच्चों में लगभग 2400 बच्चे नवीन 28 प्राथमिक विद्यालयों में एवं 30653 बच्चे अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण स्वरूप औपचारिक विद्यालयों में जायेंगें। शेष बच्चे 14165 बच्चों के लिए E.G.S. एवं A.I.E. केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव हैं। जनपद में तीन चरणों में कुल 213 E.G.S. केन्द्र तथा 118 A.I.E. केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। जनपद में प्रथम चरण में 63 E.G.S. तथा 68 A.I.E. केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। द्वितीय चरण में 75 E.G.S. तथा 50 A.I.E. केन्द्र खोले जाएंगें शेष तृतीय चरण में 75 E.G.S केन्द्र खोले जाएंगें। ऐसी असेवित बस्तियाँ जहाँ प्राथमिक विद्यालय खोला जाना है वहाँ भी E.G.S केन्द्र खोले जाने का प्राविधान किया गया है। ताकि विद्यालय का निर्माण पूर्ण हो जाने तक ऐसे E.G.S केन्द्रों के बच्चों की मुख्य धारा से जोड़ा दिया जाएगा। ऐसे केन्द्रों की कुल संख्या 28 है। जो 213 E.G.S केन्द्रों के अतिरिक्त है।

प्रस्तावित कार्य योजना

	E.G.S	A.I.E.
प्रथम चरण	63	68
द्वितीय चरण	75	50
तृतीय चरण	75	–
नवीन विद्यालय स्थल हेतु	28	–

EGS./AIE योजना हेतु सर्वेक्षणप्रपत्र– (1)

स्कूल जाने वाले बच्चों की स्थिति (31.12.2000 की स्थिति)

सारणी– 7.2

(1) 6–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या..

बालक 1,23,677 बालिका 1,14,164 योग– 2,37,841

(2) 6–14 वय वर्ग के स्कल जाने वाले बच्चों की संख्या 1,90623

वर्ग	अनुसूजित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	29,203	–	37,667	12,734	19,525	1,06,749
बालिका	26,956	–	34,769	11,754	18,015	83,874
योग	56,159	–	72,436	24,488	37,540	1,90,623

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूजित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	1,666	–	2,073	698	1,439	5,876
बालिका	1,419	–	1,914	645	638	4,616
योग	3,085	–	3,987	1,343	2,077	10,492

(4) 9–14 वर्ष के स्कल न जाने वाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूजित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	20	–	90	19	45	174
बालिका	17	–	71	16	34	138
योग	37	–	161	35	79	312

स्रोत – वर्ष 2000 में बाल गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़ें।

घुमन्तु बच्चें (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूजित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	4	—	6	8	4	22
बालिका	4	—	7	4	2	17
योग	8	—	13	12	6	39

कामकाजी बच्चें (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूजित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	5,025	—	5,935	2,308	3,693	16,961
बालिका	5,443	—	7,553	2,129	3,408	18,533
योग	10,438	—	13,488	4,437	7,101	35,494

सड़क छाप बच्चें (STREET CHIILDREN)

वर्ग	अनुसूजित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	39	—	31	—	—	70
बालिका	—	—	—	—	—	—
योग	39	—	31	—	—	70

विकलांग बच्चें (PHYSICAL HANDICAPED CHILDIREN)

वर्ग	अनुसूजित जाति	जन जाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	140	—	145	163	143	491
बालिका	94	—	91	46	89	320
योग	234	—	236	109	232	811

स्रोत – वर्ष 2000 में बाल गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़ें।

AIE में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (2)
पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9–14 वय वर्ग)

सारणी 7.3

क्रमांक व्यवसाय का नाम जिसमें बच्चे अपने अभिथावक के मददगार हैं।	स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग
कृषि	11472	10590	22062
पशुपालन	1477	1363	2820
दुकानदारी	2215	2044	4259
कुम्हार	738	682	1420
बढ़ई	738	762	1500
दर्जी	554	511	1065
अन्य	1263	1165	2428

स्रोत – वर्ष 2000 में बाल गणना से प्राप्त शैक्षिक आधारभूत आंकड़ें।

सारणी नं0 – 7.4

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
सहार			
1	गैसनिया	पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र	
2	प0 डुपुर	अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र	
3	भूलाहार	पिछड़ी जाति की आबादी वाला क्षेत्र	
4	पूवतिरा		
5	गेर		
6	सुखलालपुर		
7	पहाणपुर		
8	पुर्वा फुशल	पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र	
9	गानघवन	अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र	
10	सारी	अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र	
11	पूर्वा मक्का		
12	पूर्वा बक्सा		
13	गढ़ेवा	अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र	
14	मवुपुर	अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र	
15	अण्डा		
16	पुर्वा सवसुख	अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र	
17	पुर्वा क्षगा		
18	पुर्वा घसा		
19	औगढ नाथ	सपेरों का डेरा है।	
20	बिहारीपुर	अनु0जाति आबादी	
21	हिम्मतपुर		
22	मढहादासपुर		
23	माधव नगर		
24	भदरवार		
25	जड़कडू	अनु0 आबादी क्षेत्र	

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
विधूना			
1	रतनपुर	अनु0 जाति वाहुल्य क्षेत्र	
2	रैनाह		
3	न0पन्नी	अनु0जाति वाहुल्य क्षेत्र	
4	न0परसादी	अनु0 जाति व पिछड़ी जाति की मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र	
5	लखन्यारा	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
6	रौरी	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
7	खरगपुर	अनु जाति बाहुल्य क्षेत्र	
8	लक्ष्मनपुर	अनु जाति वाहुल्य क्षेत्र	
9	कटराकोंठी		अनु जाति वाहुल्य क्षेत्र
10	विजौडा	अनु जाति बाहुल्य क्षेत्र	
11	उदनकपुर		
12	लोधियाना		
13	वीराउसर		
14	कटरा	अनु जाति वाहुल्य क्षेत्र	
15	सरैया		अनु जाति वाहुल्य क्षेत्र
16	फतेहपुर	अनु जाति वाहुल्य क्षेत्र	
17	भवानीपुर	अनु जाति वाहुल्य क्षेत्र	
18	रज्जा पुर्वा		
19	भवानीपुर	अनु0जाति आवादी क्षेत्र	
20	रम्पुरा		
21	जमालपुर		
22	पटना		
23	पुर्वा उदई		
24	पुर्वा क्षव्वा		
25	नन्दपुर		
26	डिल्लाहार जोगियन डेरा	सपेरों की आवादी	
27	वसंई		
28	पुर्वा सिंह	अनु0जाति वाहुल्य क्षेत्र	
29	नन्दपुर		
30	लालपुर		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
31	पुर्वा गनेश		
32	पुर्वा उम्मेद		
33	जरियापुर		
34	पृथ्वीपुर		अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र
35	पुर्वा हीरा	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
36	दलपपुर		
37	क्षवरा		
38	शंकरपुर	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
39	पुर्वा धन्ना		
40	ककराही	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
41	गोडा		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
औरैया			
1	सेंगनपुर(हाजीपुर)		
2	त्योरलालपुर(रामपुर प्रताप सिंह)	दस्यू प्रभावित	
3	महेवा	दस्यू प्रभावित क्षेत्र	
4	चौकी(गूजरी)	दस्यू प्रभावित क्षेत्र	
5	जसवन्तपुर(मनसुखपुर)	अनु0 जाति आवादी	
6	जसवन्तपुर(मिश्रपुर प्रताप सिंह)		
7	भोंतापुर(केशोपुर)		
8	प्रयागपुर(शेखुपुर_करम)		
9	इंगुठिया(सिखौली)		
10	पढ़ीन(सुन्दरपुर अड्डा)	अनु0 जाति आवादी	
11	मिहौली(बिचौली)	अनु0 जाति आवादी	
12	अजनपुर(सरियापुर)	अनु0 जाति आवादी	
13	द्वारकापुर(बसन्तपुर)(पैगम्बरपुर)	दस्यू प्रभावित	
14	सुरान(डेरा बंजारन)	दस्यू प्रभावित	
15	सलेमपुर(भरतपुर)		
16	मधूपुर(धीरजपुर)	अनु0 जाति आवादी	
17	बरमूपुर(सालाबाबा)	अनु0 जाति आवादी	
18	बमुरीपुर(पुर्वामल्हान)		
19	नन्दगाँव(मड़नई)		
20	नन्दगाँव(पण्डपुरा)	दस्यू प्रभावित	
21	भासौन(भैरोपुर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
22	भासौन(स्वरूपनगर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
23	सढ़रापुर(गंगादासपुर)		अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र
4	सिहौली(करायालकापुर्वा)		
5	तुर्कीपुर चित्तर सिंह(शिवकर का पुरवा)		
6	खरका(पैगम्बरपुरवा)		अनु0 जाति आवादी क्षेत्र
7	खरका(बसन्तपुर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र.
	मई(जगतपुर)		
	मई (नौरी अड्डा)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
	सिखरना(खेरा डॉंडा)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
31	अकबरपुर(रजपुरा)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
32	अकबरपुर(इकबालपुर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
33	अकबरपुर(नगला चिन्तई)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
34	तिवरलालपुर(लक्ष्मनपुर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
35	बवाइन(अनिरुद्ध नगर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
36	बवाइन(अहिनिरर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
37	राजन्दापुर(सिखोलम)		
38	सुरान(डेरा बंजारन)		
39	जसवन्तपुर(मन्सुखपुर)		अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र
40	भोंतापुर(केशीपुर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
41	पन्हर(टिकोली)		अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र
42	दासपुर(कोठी)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
43	जैतपुर(जलोखर)		
44	रामपुर रामसहाय(कलापुर)		अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र
45	करमपुर(सेखूपुर)		अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र
46	प्रयागपुर(नगला छेदामी)		अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र
47	पड़रिया(चमनपुर)		दस्यू प्रभावित क्षेत्र
48	जरुहौलिया(मड़ैया)		
49	बनारसीदास		
50	दयालगंज		

<u>नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया</u>

		E.G.S.	A.I.E..
एरवा कटरा			
1	बदनपुर		
2	नगला हरी राम		
3	बगुराह		
4	जगतपुर		
5	वुझौआ		
6	लड़ैयापुर		
7	गुजरीपुर		
8	अचानकपुर		
9	गपकापुर		
10	गुर्रा		
11	नगवा गुदे		
12	किरकिचियापुर		
13	एनपुरा		
14	रतनपुर		
15	सभांपुर		
16	जरैला		
17	रुपपुर	2 किमी पर विद्यालय नहीं	
18	रघुनाथपुर		
19	वेलझाली		
20	नगला जादौं		
21	नगला महुआ		
22	सूंरजपुर		
23	मढा		
24	भवांनीपुर		
25	नगला दौलत		
26	नगला नया		
27	गोकुलपुर		
28	सिंहपुर		
29	भगवानपुर		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
30	न0 गारवाडी		
31	हरथावपुर		
32	रिलवट		
33	भारागल		
34	इटौली		
35	हरनागरपुर		
36	धरमजीत		
37	कलियानपुर		
38	वृजराजपुर		
39	उद्दैतपुर		
40	मकरन्दपुर		
41	न0 रावोझ		
42	वहादुरपुर		
43	नगला तुला		
44	जसवन्तपुर		
45	कछपुरा		
46	रानीपुरदत्त		
47	नगला वराह		
48	चकवदनपुर		
49	गुलालपुर		
50	वरहिन		
51	किल्लालपुर		
52	सुल्तानपुर		
53	सिमरिया		
54	नगला अतिवल		
55	रढगाँव		
56	नगला वोझ		
57	वीलपुर		
58	सुरजपुर		
59	सुरैथा		
60	हरचन्दापुर		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
61	रामपुर खारा		
62	ललउआ		
63	गानीकोठी		
64	नूरावाद		
65	इकघरा		
66	वीवीपुर		
67	कासावोझ		
68	वरौना कलॉ		
69	चिरैयापुर		
70	गोपियापुर		
71	नगला वैश		
72	विकमपुर		
73	वैवाह		
74	सराय शीशगउ	2 किमी पर विद्यालय नहीं	
75	गनूपुर		
76	नगला दौलत		
77	कुकरकाट		
78	कुचैला		
79	रमपुरा		
80	गाजीपुर		
81	वाउरंवेडा		
82	ईश्वरपुर		
83	पखनलेई	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
84	वरौनाखुर्द		
85	समायन		
86	रतनपुर		
87	हमीरपुर रुरु		
88	पिवखना		
89	चन्दौली		
90	रघुनाथपुर	पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र	
91	सिही स्योरा	2 किमी पर विद्यालय नहीं	
92	फ़ैजुलापुर		
93	दोवामाझी		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
अजीतमल			
1	खुखूपुर		
2	नगला नन्दन		
3	शाला सिमार		
4	गढ़िया सिमार		
5	हरपालपुर	पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र	
6	वंसियापुर	दस्यू प्रभावित क्षेत्र	
7	ज्ञानपुर प्रतापसिंह		
8	छत्तरपुर	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
9	कमालपुर		
10	वरीपुरा		
11	डेरावंजारन		
12	सुदनीपुर		
13	सैदपुर की मड़ैया	2 किमी पर विद्यालय नहीं	
14	नगला खिंभन		
15	मानिकपुर		
16	कुंजीपुर		
17	प्रहलादपुर		
18	धरमपुर		
19	कृपालपुर		
20	पुरवाझावर		
21	केशवदास का पुरवा		
22	वाहरपुर		
23	गोपालपुर		
24	तुर्कीपुर		
25	किशनपुर		
26	नैवरपुर		
27	पुरवा हरसहाय		
28	विधीपुर		
29	व्योरा		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
30	खरगेकापुरवा		
31	महाराजपुर		
32	पुरवानन्दलाल		
33	खुशालपुर		
34	सिकरोडी		
35	छीतापुर	दस्यू प्रभावित क्षेत्र	
36	रामनगर		
37	जाजपुर	दस्यू प्रभावित क्षेत्र	
38	सुरजनपुर		
39	ककरैया		
40	नियमितपुर		
41	यदुवंशपुर		
42	शेखूपुरआधारसिंह		
43	जगन्नाथपुर		
44	पंचदेवरा	दस्यू प्रभावित क्षेत्र	
45	वेरीकपरिया		
46	वेरीघनगर		
47	डेराबन्जारन(बीसलपुर)	सम्पूर्ण आवादी बंजारों की	

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
अछल्दा			
1	खलरा	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
2	जुगराजपुर	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
3	कटरानकी		
4	पूर्वागनू		
5	गन्हों		
6	पलहरी		
7	डेरा बंजारा नरामपुर	बंजारों का निवास स्थान	
8	साजनपुर		
9	कंधिया		
10	नडोरा	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
11	मिटारी		
12	पूर्वागोविन्द		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

	E.G.S.	A.I.E.
।ाग्यनगर		
1 खजुइया		
2 खेरा		
3 निवझना		
4 खेरा		
5 झपटियापुर		
6 हीराकापुर्वा		
7 बहादुपुर		
8 पुर्वाअगनू		
9 वरमुगुर		
10 डेराबंजारा		
11 डेराबंजारा		
12 तुलसीमडैया		
13 मेरखपुर		
14 हंसे कापुर्वा		
15 प्रतापपुर		
16 पूर्वाचिटकाई	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
17 पुर्वादासा		
18 ।ाहपुर		
19 नोहनपुर		
20 पुर्वापरसाद		
21 मुचहा		
22 गजलुआपुर		
23 मडैयामल्हान		
24 नवलपुर		
25 मडैयामलहान		
26 रूहेली		
27 चपौली		
28 गपकापुर		
29 रतवा		

नवाचार / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की प्रस्तावित सूची – औरैया

		E.G.S.	A.I.E.
30	पुर्वानीलकंठ		
31	डाडी		
32	खुशालीपुर्वा		
33	झपनीपुर्वा		
34	हरीकापुर्वा		
35	इटहा		
36	उधौपुर	अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र	
37	डेराजोगी		
38	अनन्तपुर		
39	तुर्कीपुरमडैया		
40	खजुहा		
41	अजलापुर		
42	फतेहसिंहपुर्वा	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
43	कुठर्रा		
44	डेराबंजारा		
45	रामपुरअडडा		
46	नानपुर		
47	महाराजपुर		
48	ताहरपुर		
49	पुर्वावन		
50	बढआ		
51	मौनकपुर		
52	डेराबंजारा		
53	सिंगलमउ	अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र	
54	करही		
55	गोपालपुर		
56	सिन्दुरिया		
57	माखनपुर		
58	हंसनपुरचॉदखा		
59	फूटाताल		

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। 'अण्डर ऐज' व 'ओवर ऐज' बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के वितरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चे 36726 चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षों में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्षे में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जनू, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

अध्याय – 8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रमः– जिले के ड्रॉप आउट दर शुन्य करने एवं ठहराव में वृद्धि हेतु विद्यालयों का पुर्निमाण एवं आकर्षक बनाया जायेगा।

जनपद औरैया में सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2000 तक भौतिक एवं अकादमिक सुविघायें सुलभ कराई जाती रहीं। इन संसाधनों से जनपद में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपूर्ण रहे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रस्ताव किया गया है।

जनपद में 21 विद्यालय जो जर्जर स्थिति में है,को पुनःनिर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है पूर्व से अतिरिक्त कक्षा कक्ष जनपद मे उपलब्ध है यद्यपि छात्र/अध्यापक संख्या के अनुरूप 760 अतिरिकत कक्षा कक्ष निर्माण करने का लक्ष्य है। प्राथमिक स्तर पर जनपद मे 714 शौचालय 694 हैण्डपम्प 88 चाहरदीवारी की सुविधा उपलब्ध है जबकि 65 शौचालय 85 हैण्डपम्प 691 चाहरदीवारी निर्मित करने का लक्ष्य है। पूर्व माध्यामिक स्तर पर जनपद मे 196 शौचालय 200 हैण्डपम्प 23 चाहरदीवारी की सुविधा उपलब्ध है जबकि 11 शौचालय 7 हैण्डपम्प 184 चाहरदीवारी निर्मित करने का लक्ष्य है।

अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्रः– जनपद मे प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालयों के संचालन के लिए 28 परिषदीय एवं 28 शिक्षा मित्र की आवश्यकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 198 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 198 प्र0अ0 792 स0अ0 की आवश्यकता है।

विद्यालयी सुविधाऐंः– प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए विद्यालय मरम्मतर/रखरखाव हेतु अनुदान की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष रू05000/– का प्राविधान किया जा रहा है विद्यालय विकास अनुदान हेतु प्रतिर्ष रू02000/– प्रति विद्यालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

निर्माण योजना

जनपद में प्राथमिक स्तर पर एक कक्ष की सुविधा 4 विद्यालयों में तथा 2 कक्ष की सुविधा 696 विद्यालयों में उपलब्ध है। अतिरिक्त कक्षों की पूर्ति के लिये 704 कक्ष निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी। 56 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पर छात्र संख्या के अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है। इस प्रकार जनपद में कुल 760 कक्षा कक्ष का निर्माण प्रस्तावित है।

वर्ष 2002-07 की अवधि में 810 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

सारणी - 8.1

निमार्ण योजना वर्षवार

वर्ष	जर्जर		अतिरिक्त कक्ष		शौचालय		हैण्डपम्प		चाहरदीवारी	
	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0 प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0	प्रा0	उ0प्रा0
2001	10	3	160	11	15	11	20	07	191	54
2002	11	-	250	15	25	-	25	-	200	60
2003	-	-	350	-	25	-	40	-	300	70
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

विद्यालय मरम्मत

जनपद में 120 प्राथमिक विद्यालय तथा 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य हैं जिनकी मरम्मत हेतु रू. 20000/- की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 49 प्राथमिक विद्यालय तथा 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहत मरम्मत योग्य हैं जिनकी मरम्मत हेतु रू. 70000/- की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहत मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा। वर्ष 2002-07 की अवधि में 80 विद्यालयों में लघु मरम्मत तथा विद्यालयों में वृहत्त मरम्मत का वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
	लघु	वृहद	लघु	वृहद
2001	20	19	6	5
2002	50	15	-	-
2003	50	15	-	-

वर्ष 2002-07 की अवधि में 840 शौचालय का निर्माण, 77 हैण्डपम्प स्थापित करने, 35 जर्जर प्राथमिक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण तथा 07 जर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

आवश्यक अध्यापक / शिक्षा मित्र

सारणी 4.3 में प्रभावी नामांकन के सापेक्ष 1:40 के अनुपात में वर्षभर आवश्यक अध्यापकों का विवरण दिया गया है। प्रतिवर्ष अतिरिक्त अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों की आवश्यकता का विवरण निम्न सारणी में अंकित है-

सारणी -8.2

प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात में आवश्यक अध्यापक /शिक्षा मित्र

वर्ष	नामांकन	आवश्यक अध्यापक	आवश्यक शिक्षामित्र	योग
2001-02	87554	-	-	-
2002-03	108280	163	163	326
2003-04	119175	125	125	250
2004-05	130497	128	128	256
2005-06	140777	113	113	226
2006-07	151447	117	117	234
2007-08	154778	29	29	58
2008-09	158183	29	29	58
2009-10	161664	29	29	58

वर्ष 2002–07 की अवधि में छात्र अध्यापक अनुपात को मानक के अनुरूप लाने हेतु 1292 अतिरिक्त शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की व्यवस्था हेतु वित्तीय प्राविधज्ञन रखा गया है।

चाहरदीवारी

चाहरदीवारी हेतु रु0 40,000/- का मानक है। रु0 40,000/- से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था स्थानीय समुदाय के सहयोग से की जायेगी। चाहरदीवारी के निर्माण में कम लागत के विकल्पों को अपनाया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चहारदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान नहीं रखा गया है।

बालिका शिक्षा

बच्चों की कुल संख्या के सापेक्ष बालिकाओं की संख्या लगभग आधी है। यह बालिकायें हमारे बालिका शिक्षा का केन्द्र बिन्दु है। जिस अनुपात में बालिकाओं का नामांकन/ठहराव प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में होना चाहिये। उस लक्ष्य से हम अभी काफी पीछे हैं। समाज के विशेष समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में यह स्थिति और भी खेद जनक है।

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना के लागू होने के पश्चात् बालिका शिक्षा के नामांकन एवं ठहराव में अपेक्षित सुधार आया है। इस सभी प्रयासों के पश्चात् अभी भी बालिका शालात्याग दर में हम शत प्रतिशत शून्यता को नहीं प्राप्त कर सके हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा पर विशेष कार्ययोजना बनायी गई है।

साक्षरता प्रतिशत महिला

क्र०सं०	ब्लाक का नाम	प्रतिशत	कुल
1	एरवाकटरा	26	39
2	बिधूना	28	41
3	अछल्दा	24	38
4	सहार	30	43
5	अजीतमल	31	44
6	भाग्यनगर	29	43
7	औरैया	30	43
8	नगर क्षेत्र औरैया	46	54

स्रोत बेस लाइन रिपोर्ट 2000 – 2001

फोकस ग्रुप डिस्कसन के पश्चात् बालिका शिक्षा में आने वाली बाधाओं के सम्बन्ध में जो तथ्य उभर के आये वे निम्नवत् हैं –

1. महिला शिक्षक का अभाव।
2. अजीतमल एवं औरैया के दस्यु प्रभावित एवं बिहड़ांचल क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का प्रभावी न होना।

3. विद्यालय दूर होने के कारण असुरक्षा की भावना।

4. छोटे बच्चों की देखभाल एवं घरेलू कार्यों के परिणाम स्वरूप विद्यालय न जा पाना।

5. व्यवसाय में हाथ बटाना।

6. शिक्षा की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान न होना।

7. लिंग भेद

8. क्षेत्र विशेष के लिए शिक्षा।

9. जाति विशेष के लिए शिक्षा व्यवस्था

जनपद में बालिका शिक्षा का स्तर उठाने के लिए एवं शत प्रतिशत नामांकन/ठहराव का लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु एक कार्य योजना प्राथमिकता के आधार पर बनाई गई है जिसके अन्तर्गत –

– सामुदायिक गतिशीलता को बढ़ावा देना
– वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना
– महिला शिक्षकों का चयन (आचार्या के रूप में)
– विशेष समूहों हेतु योजना (अनुसूचित, अल्पसंख्यक)
– अध्यापक प्रशिक्षण
– निःशुल्क पुस्तक वितरण
– ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण
– कार्यानुभव आधारित केन्द्रों का चयन
– एन0जी0ओ0 से सहायता
– विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा
– अनुसंधान

सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम शिक्षा समिति में से कम से कम तीन महिला सदस्यों के होने का प्राविधान है इनमें से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या, एक अनुसूचित जाति की नामांकित महिला एवं एक नामांकित माँ का होना आवश्यक है।

प्रशिक्षण के लिए संसाधन समूहों का गठन किया जायेगा, जिसमें स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, आधारभूत कार्यकर्त्ताओं संकुल स्तरीय शिक्षा अधिकारियों का समावेश किया जायेगा।

विशेष कार्ययोजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में सुधार का एक आदर्श संकुल विकास अभिगम इस अभिगम द्वारा बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास

किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रारम्भिक चरण में औपचारिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन या वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा के द्वारा बालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा की पहुँच को बढ़ाना है। द्वितीय चरण में बालिकाओं की उपस्थिति एवं ठहराव को केन्द्रित करना है। संकुलों के चुनाव का मापदंड –

1. महिलाओं की शिक्षा दर कम है।
2. बालिकाओं का कम नामांकन एवं ठहराव।
3. अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग व अल्प संख्यकों के जन समुदाय की अधिकता।
4. 10–12 गाँवों का संकुल

आयोजनात्मक क्रियायें :-

इस हस्तक्षेप को कार्यान्वित करने से पूर्व प्रारम्भिक क्रियाएं की जायगी। जैसे कि संकुलों की पहचान –

1. ब्लाक एवम् संकुल समन्वयको सहित जिला परियोजना टीम को आदर्श संकुल विकास अभिगम द्वारा बांटा जायेगा।

2. उन केन्द्रों दलों को पहचानना जो कि प्रत्यक्ष रुप से संकुल के साथ गतिविधयों में कार्यरत है।

3. गाँव के निरीक्षण द्वारा ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों एवम् मुख्य व्यक्ति के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

4. गाँव के मुख्य व्यक्ति में शिक्षकों एवम् ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।

5. गाँव की बैठकों का आयोजन।

6. बालिकाओं की शिक्षा के लिये पी0आर0ए0 तथा घर सर्वेक्षण करने के लिये विशेष प्रशिक्षण।

7. घरों के सर्वेक्षण/पी0आर0ए0 द्वारा एकत्रित ऑकड़ों व ग्राम विकास की विशेष योजनाओं के ऑकड़ों की तुलना।

8. इस अभिगम में गांव के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता।

9. कक्षा में होने वाली गतिविधियों में बालिका शिक्षा परिप्रेक्ष्य के अनुश्रवण में समन्वयकों

में जेन्डर संवेदनशीलता का विकास।

10. इस अभिगम के आरम्भ से ही एक समयबद्ध योजना को कार्यान्वित किया जायेगा। और इसके आधार पर गतिविधियों का क्रम निश्चित किया जायेगा।

केन्द्र दल :-

संकुल स्तर केन्द्र दल की स्थापना की जायेगी। बालिकाओं की शिक्षा के लिये जिला समन्वयक संकुल समन्वयक के अतिरिक्त महिला एवं युवा सदस्यों को भी लिया जायेगा। केन्द्र दल के दैनिक कार्यों में जिला परियोजना अधिकारी सहायता करेगा।

केन्द्र दल को स्थापित करने में निम्न बातों का ध्यान दिया जायेगा :-

- जिन व्यक्तियों का माडल समूह अभिगम से गहरा सम्बन्ध है उनसे कार्य के प्रति निष्ठावान होने का आश्वासन लेना।
- संकुल के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के लिये क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ जान पहचान सुनिश्चित करना।

प्रारम्भिक गतिविधियों को पूर्ण करने के पश्चात् चुने हुए संकुलों में संगठनात्मक एवं नामांकन अभियान चलाये जायेगे।

नामांकन अभियान के अन्तर्गत निम्न योजनायें अपनायी गयी –

- पद यात्रा, प्रभात फेरी
- नुक्कड़ नाटक
- बैठकें
- घर–घर जाकर प्रोत्साहित करना।
- मीना अभियान
- माँ–बेटी मेला
- महिला संसद

इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य :-

- गाँव में बालिकाओं की शिक्षा वर्तमान स्थिति तथा बालिकाओं के नामांकन को सुधारने के लिये समुदाय पर प्रभाव ।
- घरों के सर्वेक्षण से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर यह निर्धारित करना कि बालिकाओं

की शिक्षा के सम्बन्ध में और क्या किया जा सकता है।

– विद्यालय के वातावरण व विद्यालय प्रबन्धन साधनों को सुधारना।

– विद्यालयों के प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी तथा विद्यालय एवं समुदाय के पारस्परिक मेल जोल का संस्थाकरण।

5. ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय उपस्थिति।

6. सक्रिय महिला समूहों अथवा प्रेरित व्यक्तियों की उपस्थिति।

आयोजनात्मक क्रियाएँ :-

इस हस्तक्षेप को कार्यान्वित करने से पूर्व प्रारम्भिक क्रियाएँ की जायेगी जैसे संकुलों की पहचान –

1. ब्लाक एवम् संकुल समन्वयकों सहित जिला टीम को आदर्श संकुल विकास अभिगम द्वारा बॉटना

3. नामांकन के पश्चात् ठहराव हेतु निम्न कदम उठाये जायेंगे -

1. अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जायगा।

2. समय को लचीला बनाया जायेगा ताकि अधिक संख्या में बालिकाओं का नामंकन हो सके।

3. आई0सी0डी0एस0 की मदद से या नए शिशु केन्द्रों को खोला जायेगा।

4. उपस्थिति का निरन्तर अवलोकन किया जायेगा।

5. संकुल पर प्रतिमाह बैठक में आने वाली समस्याओं पर विचार किया जाये साथ उन्हें दूर करने के कदम उठाये जायेंगे।

6. विद्यालयों में विशेष आयोजन किये जायेंगे।

7. ग्राम शिक्षा समितियों की क्षमता विकास कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ – ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10-12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्वं के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

महिला प्रेरक दल – ऐसे गाँव /मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा! महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै०शि० केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- **ठहराव परिक्रमा तथा ताराकंन**
  - बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।
  - बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा –

    – माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान

    – माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान

    – माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशांन प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने वैज प्रदान किये जायेगें।

- **सत्र के मध्य एवं सत्रांन्त में अभिभावक सम्मेलन**

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए, नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करे जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे है। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामाकंन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- कोहार्ट स्टडी

अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच.वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- ग्रीष्म कालीन शिविर

ऐसे गाँव/ ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- 'बेटी हो स्कूल में' – कला जत्था अभियान

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। 'बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें' यह सुनिश्चित करनें के लिये 'बेटी हो स्कूल में' – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियां की जायेगी। यह अभियान ऐसे गाँवों में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनानें हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा /अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

66-B

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण

प्रारम्भिक बाल देखरेख प्रशिक्षण सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में प्रारम्भिक बाल शिक्षा से दोहरे लाभ हैं प्रथम यह कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु बच्चों को तैयार करना। दूसरा यह विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को छोटे भाई बहनों की देखरेख से मुक्त कर विद्यालय में रहने का अवसर प्रदान करता है। जनपद में संहार एवं अछल्दा विकास खण्डों में 30-30 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं संचालित हैं, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

रणनीतियाँ :

कनवर्जेन्स-समेकित बाल विकास परियोजना की प्रारम्भिक शिक्षा को मजबूत करना, प्रशिक्षण सामग्री सहायता द्वारा सुदृढ़ करना तथा प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय में समन्वय स्थापित किया जायेगा।

अन्य शिविर :

ग्रीष्म कालीन शिविर की उपयोगिता को देखते हुए इसे भी कार्य योजना में शामिल किया जायेगा चिन्हांकित शालात्याग बस्तियों की बालिकाओं के लिए ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजित किये जायेंगे जो कि संख्या के आधार पर एन0पी0आर0सी0 या बी0आर0सी0 स्तर पर होंगे।

साथ ही साथ जीवनोपयोगी अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण किशोरीन्वय बालिकाओं को दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत-

- आने वाली स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं की जानकारी एवं उनके बचाव के तरीके।
- किशोरन्वय तनाव से बचने के उपाय एवं उनका समायोजन।
- व्यक्तित्व विकास
- नेतृत्व क्षमता विकास
- वाणी-सम्बोधन क्षमता विकास

उपरोक्त प्रशिक्षण की अवधि 15 दिन होगी। प्रशिक्षण हेतु परीक्षक को बुलाया जायेगा। सम्मान स्वरूप उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव

जनपद में चिन्हॉकित की गई बस्तियों में बालिकाओं की शालात्याग दर अधिक है जो चिन्ता का विषय है इन बालिकाओं का विद्यालय छोड़ देने का कारण प्रायः इनके माँ बाप होते हैं। जो इन्हें अपने पैतृक व्यवसाय एवं बच्चों की देखभाल हेतु प्रयोग करते हैं। ऐसी बालिकाओं के लिए जनपद ने अपनी कार्य योजना में कार्यानुभव आधारित विद्यालयों को चयनित किया गया है।

कम्प्यूटर शिक्षा ग्रामीण एवं शहरी असमानता को दूर करते हेतु आधुनिक संचार व्यवस्था के उपयोग, प्रोत्साहन एवं रुचि संवर्धन हेतु जिला कार्य योजना ने प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लाक में उच्च प्राथमिक स्तर पर एक-एक कम्प्यूटर लगाने का प्रस्ताव किया है। आने वाले वर्षो में इसकी संख्या प्रत्येक विकास खण्ड में दस करने की है। औरैया विकास खण्ड के कुछ क्षेत्र में बालिकाएं सिलाई कढ़ाई, बुनाई, अदि का कार्य करती हैं। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम कार्यानुभव के रूप में सम्मिलित किए जायेंगे।

योजना को सफल बनाने के लिए मानक के अनुरूप धन का प्राविधान है जिसका उपयोग किया जायेगा। जिसमें अनुदेशकों का चयन किया जायेगा जो कि कम्प्यूटर एवं जरदोजी के प्रशिक्षक होंगे उन्हें मानक के अनुरूप मानदेय दिया जायेगा। साथ ही तैयार माल वहीं केन्द्रों पर बेचा जायेगा। प्राप्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप बालिकाओं में वितरित की जायेगी। कार्यानुभव शिक्षा से बालिकाओं की शालात्याग दर में प्रभावी कमी आयेगी।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण -

बालिका शिक्षा एवं समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को विद्यालय में ठहराव की स्थिति बनायें रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं तथा सभी वर्ग कर बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कराई जायेंगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं तथा अन्य सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कराई जायेंगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रति छात्र-छात्रा 150 रु0 की दर का प्रावधान हैं। जिसमें वर्ष 2000-2001 में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनुसूचित बालकों की संख्या 121172 है आने वाले वर्षो में अनुमानित लाभार्थियों की संख्या संलग्न सारणी 8.4 में दी गई है।

सारिणी नं– 8.4

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

वर्ष	अनुसूचित बालक			अनुसूचित बालिका			अन्य वर्ग बालिका			महायोग		
	प्रा0	उ0प्र0	योग	प्रा0	उ0प्र0	योग	प्रा0	उ0प्र0	योग	प्रा0	उ0प्र0	योग
2001	17522	11681	29203	16174	10782	26956	39008	26005	65013	72704	48468	121172
2	17907	11938	29845	16529	11020	27549	39866	26577	66443	74302	49535	123837
3	18300	12201	30501	16893	11262	28155	40743	27162	67905	75736	50825	126561
4	18703	12469	31172	17265	11510	28775	41639	27760	69399	77607	51739	129346
5	19114	12743	31857	17645	11763	29408	42555	28370	70925	79314	52876	132190
6	19534	13024	32558	18033	12022	30055	43492	28994	72486	81059	54040	135099
7	19965	13310	33275	18393	12262	30655	44448	29631	74080	82806	55204	138010
8	20404	13603	34007	18798	12532	31330	45426	30283	75710	84628	56417	141047
9	20653	13902	34755	19211	12808	32019	46426	30950	77376	86490	57607	144150
10	21270	14180	35450	19334	13090	32724	47447	31631	79078	88351	58901	147252

समकित शिक्षा - विशेष वर्ग की शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तव तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को भी विद्यालय में नहीं लाया जा सकता है। वच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विकलांग वच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जायेगी। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिनन प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य वच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जायेगी। जनपद औरैया में 811 बच्चे विकलांग चिन्हित किये गये हैं नगर क्षेत्र का 'सर्वेक्षण कार्य होना शेष है।'

समस्यायें

बच्चों में कुछ विकलांगतायें / अक्षमतायें जन्म से होती हैं तो कुछ जन्म के वाद विकसित हो जाती हैं। साथ ही कुछ अक्षमतायें वातावरण सें सम्बन्धित होती हैं। वच्चों की अधिगम अक्षमता के कई कारण होते हैं।

बौद्धिक क्रियाकलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मन्द गति। देखने में कठिनाई, सुनने एवं बोलने में कठिनाई। हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना, अंगों की विकृति, मांस पेशियों के तालमेल न होने से क्रिया कलाप में कठिनाई। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान, स्मृति विषयक समस्यायें।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते हैं जैसे - माता पिता के स्नेह की कमी। बच्चों को हीन भावना से देखना। सीखने के समान अवसर न मिलना। शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना। शिक्षक का वच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

विकलांगता के कारण बच्चों में आत्म निर्भरता की कमी, चलने में परेशानी, समाज में उपेक्षित रहने का भय बना रहता है।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष वल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तगत स्वयं सेवी संगठनों का येागदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों का डेस्ट टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जाता है।

विश्लेषण

विश्लेषण से ये तथ्य उभरकर सामने आये हैं जैसे अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है जबकि कम एवं माध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिये विशेष तकनीक की आवश्कता नहीं होती. केवल अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे विशेष प्रकार की तकनीक की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिये होती है जिनका रोग असाध्य या गम्भीर रूप धारण कर चुका है। शेष बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यकतायें / कार्य योजना :-

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है इस हेतु समुदाय, परिवार एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

संवेदीकरण :-

1– समुदाय का संवदीकरण– इसके अन्तर्गत जन समुदाय को भ्रांतियों को दूर किया जायेगा साथ ही ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाया जायेगा। इस हेतु गोष्ठी एवं प्रचार माध्यम का उपयोग किया जायेगा।

2– सामूहिक जनसभा करके परिवार एवं भाई–बहनों का संवेदीकरण एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा। विकलांगता अभिशाप नहीं है। हमें ऐसे बच्चों को दया नहीं सहयोग देना चाहिये जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

3– अध्यापकों का संवेदीकरण के अन्तर्गत उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया जायेगा है कि ऐसे बच्चों के विकास में आपकी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है इस हेतु ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का निर्धारण किया जायेगा।

छात्र स्वास्थ्य परीक्षण

1. ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य देख–रेख चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य संकल्पनाओं के बारे में अवगत कराया जायेगर। अंतरक्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रयास किया जायेगा। बैठक में जाँच दल का चुनाव किया जायेगा।

2. चिकित्सा दल चुने हुए स्कूल के अध्यापक–अध्यापिका के साथ मिलकर छात्रों की जाँच पर विचार–विमर्श कर अंतर क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर बल दिया जायेगा।

3. तकनीकी कर्मचारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा चुने जायेंगे।

4. विशेषज्ञों को बुलाया जायेगा।

5. विशेषज्ञों को सम्मान स्वरूप धनराशि दी जायेगी।

6. उपकरण एवं उपस्कर :-

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये बच्चों का डाक्टरों की टीम, जिसमें एक आर्थोपेडिक्ट, एक ई0एन0टी0 डाक्टर एवं आई स्पेशिलिस्ट हो, द्वारा मेडिकल एसेसमेंट कराया जायेगा। फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करायी जायेगी। उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से ली जायेगी इसके लिये निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जायेगा–

1– राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून।

2– एलिम्को, जी0टी0 रोड, कानपुर – 208 016

3– अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर, कर्करडूमा, विकास मार्ग दिल्ली।

4– मंगलम, ए–445, इंदिरा नगर लखनऊ,

5– यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13, लूकरगंज, इलाहाबाद

7. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण :-

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से लिया जायेगा जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया जायेगा। समेकित शिक्षा के लिये प्राथमिक अध्यापकों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन सेन्टर द्वारा दिया जायेगा।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया जायेगा जैसे :-

- विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।
- विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।
- इन बच्चों के समूहों के लिये शिक्षण रणनीति विकसित करना।
- कक्षा कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन।
- इन बच्चों, इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।
- विकलांग बच्चों का आवश्यकताओं के संबंध में अन्य बच्चों में जागरुकता उत्पन्न करना।

स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये तकनीकी सहायता देने हेतु ऐसी स्वयं संस्थाओं की भागीदारी ली जायेगी जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये कार्य कर रही हों।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

सर्वशिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की रणनीति में ग्राम शिक्षा समितियों को केन्द्रीय भूमिका प्रदान की गई है। हमारे प्रदेश में ग्राम शिक्षा समितियों का अस्तित्व दो दशक से भी अधिक का है किन्तु इनकी प्रभावी भूमिका कुछ सीमित गतिविधियों तक हो रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन इन गतिविधियों को न केवल विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन का दायित्व दिया जायेगा साथ ही ग्राम की शिक्षा विकास योजना की संरचना का भी दायित्व दिया जायेगा। इसका मूल उद्देश्य यह है कि स्थानीय आवश्यकताओं के क्षेत्र की जनता को भी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। यह एक नवीन चुनौती पूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि आज के बालकों के भविष्य की शिक्षा का नियोजन एवं प्रबन्धन और उसके माध्यम से एक सफल नागरिक का विकास हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है।

प्रत्येक विकासखण्ड में से उत्कृष्ट कार्य के लिए दो ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन स्वरूप 25000/- रुपये का पुरस्कार देने की योजना इस अभियान में सम्मिलित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम शिक्षा समितियों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी। यह प्रतिस्पर्धा मात्र अनुदान प्राप्त करने के लिए ही नहीं अपितु क्षेत्र प्रगति की शिक्षा-व्यवस्था औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा दोनों विधाओं के माध्यम से विकसित और प्रभावी करने हेतु है।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लिए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

विश्लेषण :-

जनपद औरैया पूर्व में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित रहा है जिसके अन्तर्गत माइक्रोप्लानिंग एवं परिवार सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का सफल प्रयास किया जा चुका है। उस क्रम को बनाये रखने एवं शेष एवं अपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उसे अधिक क्रियाशील एवं प्रभावी ढंग से कार्य योजना में सम्मिलित किया जायेगा जिससे हमारा उद्देश्य पूरा हो सके।

आंकड़ों का विश्लेषण करके प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति द्वारा एक ग्राम शिक्षा योजना तैयार की जायेगी जिसमें बच्चों के नामांकन तथा शैक्षिक सुविधाओं/कार्यक्रमों में सुधार के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जायेगी। इस कार्य योजना के अनुसार यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाँव के शत प्रतिशत बच्चों का विद्यालय में नामांकन हो और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार हो।

ग्राम शिक्षा समिति का गठन एवं स्वरूप

संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में व्यापक संशोधन किए गए हैं। उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश 2000 के अन्तर्गत गठित शिक्षा समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा–

1. प्रधान — अध्यक्ष
2. प्रधानाध्यापक — सदस्य सचिव
3. 3 अभिभावक — छात्रों के तीन अभिभावक, जिसमें एक महिला होगी। (स0बे0शि0अधि0 द्वारा नामित)

यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक स्कूल हैं तो उनके प्रधानाध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य सचिव होगा।

उत्तरदायित्व :

1– शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करना तथा समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

2– पंचायत क्षेत्र में शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन।

3– **शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ पर प्रशासकीय नियंत्रण :-**

(1) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(2) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के आध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता समझे जाएं।

(3) शिक्षामित्र एवं आचार्य जी के चयन का अधिकार।

(4) बच्चों की उपस्थिति एवं शिक्षकों के शिक्षण कार्य का लगातार अनुश्रवण करना।

ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण :-

प्रशिक्षण के उद्देश्य :-

1– ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतः अपनाने हेतु क्रियाशील बनाना।

2– प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण विशेष रूप से बालिका शिक्षा एवं विकलांग बच्चों के लिए वातावरण निर्माण में ग्राम शिक्षा समिति एवं समुदाय के सक्रिय योगदान के संदर्भ में (सेन्सिटाइज करना) जागरूक बनाना।

3- विकेन्द्रीकृत नियोजन के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण के अभ्यास के द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षता विकसित करना।

4- आकर्षक विद्यालय/कक्षा निर्माण, रुचिपूर्ण माहौल, विद्यालय संचालन में ग्राम शिक्षा समिति के योगदान के लिए अभिप्रेरित/सुग्राहित करना।

5- अन्तर्क्षेत्रीय समन्वयन, सहयोग तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय एवं अन्य स्थानीय संसाधन, जुटाने के लिए अभिप्रेरित/सुग्राहित करना।

शैक्षिक उत्तरदायित्व वहन करना :-

(1) ग्राम शिक्षा समिति की बैठक प्रतिमाह करना।

(2) आवश्यकतानुसार नये बेसिक स्कूलों का चयन, स्थल चयन आदि कार्यवाही।

(3) नये विद्यालय का निर्माण तीन माह में सुनिश्चित करवाना एवं विद्यालय को आकर्षक बनाना।

(4) विद्यालय सम्पत्ति का रखरखाव।

(5) वित्तीय संसाधन जुटाना।

(6) स्थानीय उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर समुदाय के सहयोग से शिक्षण सामग्री तैयार करवाना। शिक्षण सामग्री, आपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्री एवं साइंस किट का समुचित प्रयोग करवाना।

(7) प्राथमिक विद्यालय में समस्त बच्चों का नामांकन करवाना। जुलाई से सितम्बर तक 'स्कूल चलो अभियान' चलवाना।

(8) स्कूल में बच्चों का धारण में स्थायित्व बालिकाओं और अपवंचित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देना।

(9) विशिष्ट आवश्कता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना।

(10) स्कूल के बाहर के बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं बाल मजदूरों की शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कराना।

(11) शिक्षक मातृसंघ एवं अभिभावक शिक्षक संघों का गठन करना तथा उनकी नियमित बैठकें करवाना।

(12) वन विभाग के सहयोग से विद्यालय में वृक्षारोपण करवाना । समुदाय को प्रेरित कर विद्यालय की आवश्कतानुसार सहायता, दान/श्रम के रूप में प्राप्त करना।

(13) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के बच्चों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करवाना।

(14) ई०सी०सी०ई० केन्द्रों पर बच्चों का नमांकन, संचालन में सहयोग देना एवं अनुश्रवण करना।

(15) स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों का नियमित हेल्थ चैकअप करवाना, तथा बच्चों को प्रतिरक्षीकरण टीका लगवाना।

(16) युवक मंगल दल एवं युवती मंगल दलों को प्रेरित करना ताकि आवश्यकतानुसार ग्राम स्कूल की सफाई, निर्माण आदि में श्रमदान करके सहयोग दे सकें।

(17) कक्षा में इमला लिखवाना, जोर से पढ़वाना, गृहकार्य एवं जांच कार्य आदि कार्यों को नियमित करवाना।

(18) ग्राम शिक्षा समित के सदस्यों को विभिन्न कार्यों का विवरण करना।

(19) शिक्षा सिर्फ कक्षा तक ही सीमित न रहे इसके लिए माहौल बनाने की आवश्यकता है। अतः हमारे परिवेश में विभिन्न व्यवसायों–मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाने, बढ़ई गिरी, लुहार गिरी के कुशल कारीगरों, अच्छे कहानी वाचक, गायक, वादक, कहानीकारों को समय–समय पर बच्चों से वार्तालाप कर विभिन्न जानकारी देने के लिए बुलाया जाय इससे बच्चों के दृष्टिकोण में कार्य की महत्ता पहचानने में बढ़ावा मिलेगा। अतः इन व्यक्तियों की संदर्भ व्यक्ति के रूप में पहचान कर सूची बना ली जायेगी।

(20) प्राथमिक विद्यालय में दस–दस पुस्तकें प्रति कक्षा रखकर बुक बैंक की स्थापना की जायेगी एवं इन पुस्तकों को सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को वितरित किया जायेगा।

शिक्षा के लिए वातावरण निर्माण :-

(1) जन सहभागिता एवं वातावरण सृजन हेतु रैलियों, विद्यालयों द्वारा प्रभात फेरियों, मशाल जुलूसों आदि का आयोजन किया जायेगा।

(2) समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शैक्षिक मेले, बाल मेले, प्रदर्शनी आदि आयोजित किये जायेंगे।

(3) प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रचार–प्रसार हेतु नुक्कड़ नाटक दल एवं प्रेरक समूह तैयार किये जायेंगे।

(4) गांव के स्थानीय कलाकारों द्वारा नाटक, गीत आदि तैयार करवा कर प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

(5) पोस्टर, गीत, नारों, कहानियों, चलचित्रों आदि के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को उजागर किया जायेगा।

(6) बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्धित अंधविश्वासों, पूर्वाग्रहों आदि को दूर किया जायेगा।

(7) बालिका का शिक्षित होना बालक से भी अधिक आवश्यक है– अभिभावकों में यह भावना जागृत करायी जायेगी।

(8) सहभागी क्रियाओं, अभिनय आदि के माध्यम से उदाहरण देकर प्रस्तुतीकरण करना कि बेटी भी कर सकती है आपके सपने पूरे, आपके परिवार का नाम रोशन।

(9) विद्यालय भ्रमण, विद्यालय भ्रमण के उपरान्त बालिकाओं को विद्यालय न भेजने वाले परिवारों का अध्ययन तथा इन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जायेगा।

(10) क्षेत्र में लगने वाले हाट. बाल मेलों. प्रदर्शनियों में शिक्षा सम्बन्धी स्टाल लगाकर आडियो/वीडियो कैसेट का प्रसारण तथा प्रदर्शन किया जायेगा।

(11) अन्तर्कक्षीय/अन्तर्विद्यालयी प्रतियोगिताएं आयोजित करायी जायेगी।

(12) स्कूल चलो अभियान आयोजित कार्यक्रम चलाया जायेगा।

(13) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित होने वाली गतिविधियों में भाग लेना। बालिकाओं के नामांकन के लिए विशेष अभियान.मीना फिल्म. प्रदर्शन एवं चर्चा। सामूहिक पी0टी0 प्रतियोगिता।विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार देना। खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार देना। अभिभावक-शिक्षक बैठकों का अयोजन कराये जायेंगें।

(14) अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन/राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन/त्यौहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं द्वारा गांव के प्रतिभाशाली बच्चों का चयन कर सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना। दीवार-समाचार-पत्र. नारे लेखन. महत्वपूर्ण स्थानों पर नारे. सूक्तियाँ. विचार लेखन आदि। पुस्तकालय/वाचनालय का प्रयोग। साक्षरता प्रसार कार्य किया जायेगा।

(15) नारे व सूक्तियों का निर्माण.'आकर्षक स्कूल भवन' रख-रखाव. सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण. न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित दक्षताओं-लेखन. सुस्वर पाठन प्रतियोगिताओं काआयोजन कराया जायेगा।

(30) छात्रों में गणवेश. व्यक्तिगत स्वच्छता. सफाई. नाखून काटना. स्वच्छ दांत. प्रतिदिन स्नान करना बालों की स्वच्छता एवं विन्यास. जूते पहनने की आदतों को विकसित करने हेतु प्रतियोगिताएं आयेाजित करायी जर. यसेंगी।

अन्य विभागों से भी अपेक्षित सहयोग लिया जयेगा -

स्वास्थ्य विभाग :-

ग्राम वासियों को व्यक्तिगत स्वच्छतां के प्रति जगारुक करना।ए0एन0एम0 की सहायता से बच्चों को टीके लगवाना। गाँव में स्वास्थ्य घर खुलवायें जहाँ दवाइयाँ. ओ0आर0एस0 के पैकेट. आयरन की गोलियाँ आदि आसानी से मिल सकें। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण. जांच. टीके एवं प्रशिक्षित दाई की सहायता से सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था करवाना।

महिला एवं बाल विकास विभाग :-

यदि आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है तो बाल विकास विभाग से सम्पर्क कर खुलवायेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकत्री की सहायता से बच्चों का नियमित वजन करवाना ताकि बच्चों को कुपोषण न हो सके। सभी बच्चों को नियमित एवं समय पर टीके लगवायेंगे। गर्भवती महिलाओं को 100 आयरन फौलिक ऐसिड गोलियां दी जायेंगी।

विकलांग कल्याण विभाग :-

विकलांग बच्चों की पहचान का प्रमाण–पत्र बनवाये जायेंगें और जिला विकलांग कल्याण विभाग से उपकरण की व्यवस्था करायी जायेगी।

श्रम विभाग :-

श्रम विभाग के सहयोग से 6–14 वर्ष वर्ग के बाल मजदूरों की पहचान करायी जायेगी इन बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था करायी जायेगी।

जल विभाग :-

खराब हैण्डपम्प की मरम्मत एवं मानक के अनुसार नये हैण्डपम्प की व्यवस्था करायी जायेगी।

वन विभाग :-

विद्यालय परिसर में पौधों के रोपण में सहयोग लिया जायेगा।

समाज कल्याण विभाग :-

बच्चों की छात्रवृत्ति की समय से वितरण की व्यवस्था करायी जायेगी।

आपूर्ति विभाग :-

विद्यालयों में बच्चो को पोषाहार का नियमित प्रतिमाह वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करवायी जायेगी।

महिला समाख्या :

बालिकाओं के नामांकन, सम्प्राप्ति, वातावरण निर्माण एवं महिलाओं के सबलीकरण हेतु सहयोग लिया जायेगा।

अध्याय–9

गुणवत्ता सम्वर्द्धन एवं अकादमिक क्षमताओं का विकास

शैक्षिक गुणवत्ता का परिदृश्य–

औरैया जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिये वर्ष 1993 में बेसिक शिक्षा परियोजना आरम्भ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत् भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और सम्बर्द्धन करने के लिये गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 7 बी. आर.सी. तथा 75 एन.पी.आर.सी. की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बन्ध में 5 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्थल पर आयोजित किये गये। इस तरह बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र ऐसे भी शेष रहे जिन्हें संचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका।

बेसिक शिक्षा परियोजना का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन तथा 6 से 11 वयवर्ग के बच्चों का नामाकंन ठहराव एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति रहा। जनपद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु डायट, विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र खोले गये। सभी का लक्ष्य था कि विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि हो सके तथा विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर में सुधार हो सके। जनपद में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सम्प्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व डाएट पर है । इस दिशा में डाएट द्वारा बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के विषय आधारित सेवारत् प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं । प्रशिक्षणों में विषयों के शिक्षण की नवीनतम विधियॉं, सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं समुचित प्रयोग, कठिन संबोधों का सरल रूप में शिक्षण, विद्यार्थियों का सतत् व्यापक मूल्यांकन तथा विद्यालय को आकर्षक एवं आदर्श बनाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों का सैद्धान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया है । प्रशिक्षणोपरांत प्रशिक्षकों द्वारा अपने–अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका मूल्यांकन शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा डाएट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा किया जाता है !

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग और समर्थन प्रदान करने हेतु डाएट, बी0

आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 पर एक निश्चित तिथि को मासिक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है । बी0 आर0 सी0 पर आयोजित कार्यशाला में डाएट प्रतिनिधि तथा एन0 पी0 आर0 सी0 पर आयोजित कार्यशाला में बी0 आर0 सी0 व डाएट प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं । कार्यशालाओं में पर्यवेक्षण और अनुश्रवण को प्रभावी बनाने की कार्य योजना तैयार की जाती है तथा शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग–समर्थन देने सम्बन्धी प्रयासों पर विचार–विमर्श किया जाता है । डाएट, बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के पर्यवेक्षण के समय आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण भी किया जाता है तथा उनकी शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है । पर्यवेक्षण के समय विद्यालय चैक लिस्ट के अनुसार सी व डी ग्रेड प्राप्त विद्यालयों को उच्च ग्रेड में लाने हेतु सुझाव व प्रयास किये जाते हैं । तदुपरान्त इन विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है।

स्कूल पूर्व शिक्षा :

बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा बच्चों में स्कूल रेडीनेस लाने और बालिकाओं का नामांकन तथा ठहराव बढ़ाने हेतु शिशु शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से30 केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चों खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका को अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किये गये। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।

2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानान्तरित करने के बाद।

3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।

4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यो का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद औरैया में डायट के नेतृत्व में 441 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी.) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों, स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं और बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।

3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण।

4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा समितियां तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संकलित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया जाता है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण, विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूलों के क्रियाकलापों से स्थानीय स्तर के पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूलों में न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग व समर्थन से प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति और दशा में सुधार हो रहा है। ग्रामवासी विद्यालय भवन को राजकीय भवन न मानकर अपने गॉव की सम्पत्ति मानने लगे हैं। विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण व आवश्यक शिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था भी ग्राम शिक्षा समिति के प्रयासों से सम्भव हो रही है। प्रत्येक माह की एक निश्चित तिथि व समय पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की बैठक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित की जाती है जिसमें प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन पर विचार विमर्श किया जाता है।

ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण डाएट तथा बी0 आर0 सी0 के पर्यवेक्षण में एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा ग्राम स्तर पर आयोजित किए जाते हैं।

स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी की स्थिति नगण्य थी वहीं ग्राम शिक्षा समितियों का गठन कर स्कूल की गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी को प्रशिक्षित कराया गया जिसके फलस्वरूप समुदाय के कुछ लोगों ने स्कूल की गतिविधियों में सकारात्मक सहयोग एवं सहभागिता देखने को मिली वहीं शैक्षिक गुणवत्ता में भी सुधार आया। बच्चों की शिक्षा में परिवार का सहयोग जरूरी है बिना परिवार के सहयोग से बालक की शिक्षा सही नही हो सकती। जब तक माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा उनमें शिक्षा के प्रति रूचि एवं जागरूकता दिखाई नहीं

देगी। बच्चे की शिक्षा अपेक्षित स्तर की संभव न हो सकेगी, अतः नामांकन के दृष्टि कोण से जनसम्पर्क अभियान चलाया गया। शिक्षकों द्वारा घर–घर जाकर अभिभावकों से सम्पर्क किये गये जिससे पढ़ने का वातावरण बना। अधिकाशतः देखने में आया है कि बालिकाओं में शिक्षा के प्रति अभिभावक अभी भी उदासीन हैं। बालिकाओं का ड्राप आउट रूक सके इसके लिये कार्यवाही की आवश्यकता है उपाय करने होगें। समाज के लोगों में शिक्षा के प्रति प्रेरणा ,रूचि जागरूकता कूट–कूट कर भरनी होगी । ऐसा प्रयास ही शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये आवश्यक होगा।

बी.ई.पी. के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण :

बच्चों का भाषा एवं गणित विषयों के प्रति सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ सकें इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये दक्षता आधारित प्रशिक्षण चलाया गया। बच्चों का बौद्धिक स्तर आगे बढ सके इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्रशिक्षण तथा शिक्षकों की दक्षता, क्षमता हेतु विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये। जनपद में संचालित शिक्षक–प्रशिक्षणों का विवरण इस प्रकार है--

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों में शिक्षण की दक्षता एवं कौशलों का विकास करने हेतु दिये गये हैं । समय की बदलती हुई परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चे के परिवेश में तेजी से आने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपने शिक्षण में उतना ही अधिक दक्ष और योग्य हो कि बच्चों को उतनी ही गति से शिक्षण दे सकें, जितनी गति से वह सीखना चाहते हैं ।

इन प्रशिक्षणों का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि कक्षा शिक्षण प्रभावी, रूचिपूर्ण एवं बाल केन्द्रित हो ।

प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण :

प्राथमिक स्तरीय शिक्षक की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने हेतु तथा शिक्षण की दक्षताओं एवं कौशलों का विकास करने हेतु विभिन्न सेवारत् अध्यापक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सेवारत् शिक्षकों के प्रशिक्षणों के 5 चक्र आयोजित किये जा चुके हैं – **प्रथम चक्र** में बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को सरस एवं रूचिकर बनाना, बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं का विकास करना। स्थानीय परिवेश के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग एवं स्कूली शिक्षा की तैयारी सम्बन्धित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के **दूसरे चक्र** में अध्यापकों को दक्षता आधारित भाषा–शिक्षण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया । भाषा की प्रमुख दक्षताएँ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किन शिक्षण विधियों द्वारा किया जाये, इसकी सम्यक जानकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण के द्वारा दी गई।

बच्चों में स्वपठन की आदत का विकास, विषय सामग्री को पढ़कर समझ लेने की क्षमता का विकास, भाषा की दक्षताओं में परिपक्वता, अवकाश के दिनों में खाली समय का सदुपयोग का अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के तीसरे चक्र के माध्यम से अध्यापक को अनुपूरक अध्ययन सामग्री का प्रशिक्षण प्रदान किया गया । प्रशिक्षण में इन्द्र धनुष भाग–1 से 5 द्वारा रंगीन चित्रों के माध्यम से रोचक कहानियां एवं बाल कविताओं को सरल शिक्षण विधियों के माध्यम से कक्षा–1 से 5 तक के बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया ।

गणित विषय को सरल एवं रुचिकर बनाकर बाल केन्द्रित विधियों द्वारा शिक्षण का ज्ञान प्रदान करने हेतु सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के **चौथे** चक्र में गणित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया । प्रशिक्षणं में गणित के 5 अधिगम क्षेत्र क्रमशः संख्याओं एवं संख्यांकों को समझना, जोड़ने–घटाने, गुणा तथा भाग की मौलिक संक्रियाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय अंकों की पहचान, मुद्रा, लम्बाई, भार, धारिता, क्षेत्र तथा समय का मापन, भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत तथा ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण को सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से रुचिकर शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रशिक्षण के **पाँचवे** चक्र में पर्यावरण अध्ययन प्रशिक्षण के अन्तर्गत सामाजिक विषयों (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र) व वैज्ञानिक विषयों (भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान) के शिक्षण को सरल रूचिकर व बोधगम्य बनाकर विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से अध्यापकों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया।

बी. ई. पी. में उच्च प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण :

उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित विषय की तीनों शाखाओं (अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित) के शिक्षण को सरल, रूचिकर और बोधगम्य बनाकर कक्षा–कक्ष में सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से शिक्षण को प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को गणित विषय का सैद्धान्तिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

विज्ञान की तीनों शाखाओं से सम्बन्धित विषय सामग्री को चित्रों, चार्टो एवं प्रयोगात्मक उपकरणों के द्वारा कक्षा–कक्ष में सरल, रोचक एवं बोधगम्य शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों से उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को विज्ञान शिक्षण का सैद्धान्तिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उक्त प्रशिक्षणों में कक्षा–6 से 8 तक के पाठ्यक्रम के समस्त प्रकरणों को सम्मिलित किया गया। जो प्रकरण शिक्षण की दृष्टि से अध्यापकों को कठिन प्रतीत होते थे, उन पर विशेष बल दिया गया।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण मुख्यतः विकास खंड स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तरीय

शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया गया था। जनपद में बी.ई.पी. के अंतर्गत जो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक प्रदान किये गये उनकी स्थिति इस प्रकार है–

चक्र	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
प्रथम चक्र	5255	925
द्वितीय चक्र	4410	936
तृतीय चक्र	4290	–
चतुर्थ चक्र	4000	–
पंचम चक्र	3469	–

स्रोत : डायट, औरैया

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशाला का आयोजन डायट स्तर पर हुआ जिसमें विकास खण्ड स्तर के समन्दयक तथा न्याय पंचायत स्तर के सम्दयक, समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही साथ विगत वर्षो में बच्चों के नामांकन में और अधिक वृद्धि हो सके इस हेतु ग्रामीण स्तर से लेकर जनपद स्तर तक स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम चलाया गया।

शैक्षिक गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु,डायट, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विभिन्न प्रकार के मैटेरियल मेलों का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं डायट स्तर पर विभिन्न प्रकार की कार्यशालायें गोष्ठियां आयोजित की गयीं। विजिनिगं कार्यशाला का उद्देश्य यही था कि लोगों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो सके परन्तु अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये जो पर्याप्त नही रहे। उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों को अकादमिक सहयोग और समर्थन भी पर्याप्त सिद्ध नही हुआ। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐसे बच्चों की संख्या काफी अधिक है जो अशासकीय/सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत है, मकतब मदरसों में भी अध्ययनरत बच्चों की संख्या काफी है ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि अशासकीय क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेजों, मकतब मदरसों में जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित है उनके शिक्षकों के लिये भी विषय ज्ञान, क्षमता संवर्धन और शिक्षण विधियों पर केन्द्रित प्रशिक्षण तथा सतत् अकादमिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

शैक्षिक योग्यता :

इसके अतिरिक्त शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता की स्थिति का विश्लेषण यह बताता है कि शिक्षकों को विषय ज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जैसा कि सारिणी–1 शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता का विवरण प्रदर्शित करती है। प्राथमिक शिक्षक के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा बी.टी. सी. अथवा समकक्ष प्रशिक्षण है किन्तु जनपद में अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक से कम है।

सारिणी–9.1 (अ)

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

		प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
1.	शिक्षकों की कुल संख्या	2337	948
2.	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या	21	–
3.	केवल हाई स्कूल उत्तीर्ण	353	05
4.	केवल इण्टरमीडियट उत्तीर्ण (अप्रशिक्षित)	17	–
5.	स्नातक(अप्रशिक्षित)	138	–
6.	"क" विज्ञान शिक्षक	–	164
	"ख" संस्कृत उर्दू शिक्षक	30	236
7.	परास्नातक (अप्रशिक्षित)	–	–
8.	इण्टरमीडियट एवं (प्रशिक्षित)	703	450
9.	स्नातक एवं (प्रशिक्षित)	709	271
10.	परास्नातक एवं (प्रशिक्षित)	517	174

स्रोत– बी.एस.ए. कार्यालय औरैया

उपर्युक्त सारिणी से यह स्पष्ट है कि–

1. परिषदीय प्राथमिक शिक्षकों की कुल सं0 2337 तथा उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की सं0 946 है।
2. प्राथमिक विघालयों में हाइस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या 21 है इन अध्यापकों की गुणवत्ता सम्वर्द्धन के लिये प्रस्ताव के तहत डायट स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता हैं। ऐसे शिक्षकों का प्रतिशत 0.9प्रतिशत है।
3. जनपद में हाई स्कूल उत्तीर्ण अध्यापकों की संख्या 15 है । इनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

4. जनपद में 5 प्रतिशत ऐसे शिक्षक है जो इन्टर/स्नातक तथा अप्रशिक्षित है यह सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त नही है ऐसे शिक्षकों के लिए पत्राचार आधारित प्रशिक्षण के लिए निदेशक SCERT लखनऊ को अवगत कराकर उनके निर्देशानुसार डायट स्तर पर व्यवस्था की आवश्यकता है।

5. संस्कृत/उर्दू/विज्ञान/अंग्रेजी/संस्कृत अध्यापकों को जो लगभग 13 प्रतिशत है को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों का पदस्थपना :

सारिणी 9.1 (ब)

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

शिक्षण अनुभव	योग	उच्च प्राथमिक
5वर्ष से कम	1047	27
5–10 वर्ष तक	375	75
10–15 वर्ष तक	169	56
15–20 वर्ष तक	142	112
20–25 वर्ष तक	89	119
25–30 वर्ष तक	222	146
30 वर्ष से अधिक	294	330
योग	2337	946

स्रोतः–बी0एस0ए0 कार्यालय

जनपद में शिक्षकों की पद स्थापना की स्थिति से स्पष्ट है कि–

5 वर्ष से कम अनुभव वाले 45 प्रतिशत अध्यापक है। 16 प्रतिशत अध्यापक 5 से 10 वर्ष का अनुभव रखते है। 10 से 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले 7.23 प्रतिशत अध्यापक हैं 6.07 प्रतिशत लगभग ऐसे अध्यापक है जिनका अनुभव 15 से 20 वर्ष है तथा 20–25 वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले 3.8 प्रतिशत शिक्षक/शिक्षकाएं हैं ! 9.5 प्रतिशत ऐसे अध्यापक है जिनका अनुभव 20–30 वर्ष के बीच है। 30 वर्ष से अधिक शिक्षण अनुभव वाले 12.58 प्रतिशत अध्यापक है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि जो अध्यापक 20 वर्ष से अधिक अनुभव रखते है को विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण नवाचार के रूप में पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार सम्भव है। जनपद में बी.ई.पी. के अन्तर्गत शिक्षकों के दक्षतावर्धन हेतु कार्यक्रम संचालित किये गये। जिसका विवरण निम्नवत् है।

प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु पहले बी.आर.सी. स्तर पर संदर्भदाताओं को

प्रशिक्षित किया गया उसके बाद क्रमशः प्रथम चक्र उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा नामांकन धारण सम्प्राप्ति के अन्तर्गत चक्रवार प्रशिक्षकों की व्यवस्था डायट स्तर पर की गई। तत्पश्चात बी0आर0सी0 स्तर पर प्रत्येक चक्र का प्रशिक्षण देने के लिए सभी प्राथमिक अध्यापकों को बुलाया गया। जिससे शैक्षिक सम्प्राप्ति एवं गुणवत्ता में सुधार हो सकें। इसके साथ ही अन्य विविध पक्षीय प्रशिक्षण भी डायट स्तर पर किये गये। बीच बीच में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। सभी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु से प्रतिभागी शिक्षक प्रभावित हुए इन प्रशिक्षणों के प्रयोग के लिये अभी और प्रयास की आवश्यकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित विज्ञान के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु डायट स्तर पर संदर्भदाताओं को प्रशिक्षित किया गया। तत्पश्चात बी0आर0सी0 स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान गणित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। औरैया नगर क्षेत्र के शिक्षकों की प्रशिक्षण व्यवस्था डायट स्तर पर की गई है।

कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिक्षकों को रु0 500 वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है जिससे वे सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हैं और उनका कक्षा में उपयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एन.पी. आर.सी., बी.आर.सी. तथा डायट स्तर पर मैटीरियल मेले का आयोजन किया गया जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा है और कक्षा–शिक्षण में शिक्षण–सामग्री का समुचित उपयोग बढ़ा है।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम जनवरी 1999 में बेसिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसे मासिक शिक्षण योजना के आधार पर विभाजित कर सभी शिक्षकों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी तथा डायट को उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु नवीन पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित होकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया जा रहा है।

शिक्षकों को सहयोग समर्थन की व्यवस्था

शिक्षकों को सहयोग समर्थन देने हेतु डायट स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण के अन्तर्गत विविध कार्यनीतियाँ अपनाई गई। इसके लिये विशेष बल देने हेतु डायट स्तर पर पटनी सहारनपुर पैकेज के आधार पर शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाए आयोजित की गई इसमें समस्त विकास खण्डों के समन्वयक, सहसमन्वयक एन0पी0आर0सी0 प्रभारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों एवं डायट प्रवक्ताओं का प्रतिभाग सुनिश्चित किया गया।

विभागीय निर्देशानुसार उच्च प्राथमिक/प्राथमिक एवं अन्य शैक्षिक स्तरों के अकादमिक पर्यवेक्षक की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। इसमें डाइट बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 द्वारा जागरूकता के साथ अकादमिक पर्यवेक्षण किया गया। इसके अन्तर्गत विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट भी दिया गया। इनका विभागीय निर्देशानुसार श्रेणीकरण भी किया गया तथा वांछित श्रेणी में लाने हेतु उन्हें विशेष

मार्गदर्शन तथा शैक्षिक सपोर्ट भी दिया गया। समन्वयक द्वारा मासिक बैठकों में अपने अपने विकास खण्डों की शैक्षिक समस्याओं को जाना गया तथा उनका आपसी विचार–विमर्श से निस्तारण किया गया। इस व्यवस्था से निचले धरातल पर शिक्षकों को उचित सहयोग एवं समर्थन दिया गया। विद्यालयों की उनके प्रदर्शन के आधार पर जो ग्रेडिंग की गई, उससे गुणवत्ता स्तर की जानकारी मिलती है। निम्न सारिणी द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया है–

सारिणी 9.2

पर्यवेक्षण के आधार पर ग्रेडिंग

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	श्रेणी ए.	बी.	सी.	डी.	उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या	श्रेणी ए.	बी.	सी.	डी.
1.	अजीतमल	120	73	47	–	–	29	15	13	01	–
2.	औरैया	127	39	78	10	–	38	17	17	04	–
3.	भाग्यनगर	119	42	70	6	1	28	12	16	–	–
4.	सहार	92	44	48	–	–	25	13	12	–	–
5.	अछल्दा	101	48	49	4	–	30	15	13	02	–
6.	एरवाकटरा	99	64	31	4	–	22	10	12	–	–
7.	बिधूना	112	33	63	13	3	20	8	11	01	–
8.	नगर क्षेत्र औरैया	–	–	–	–	–	01	01	–	–	–

स्रोत डायट औरैया

जनपद स्तर पर अकादमिक पर्यवेक्षण एवं प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु ग्रेडिंग प्रणाली अपनाने जाने के रूप में पर्यवेक्षक का कार्य डायट स्तर से लेकर एन0पी0आर0सी0 तक संचालित किया गया। जिसके प्रमुख घटक निम्न रहे–

1. आदर्श पाठ योजना के आधार पर शिक्षण कार्य पर बल देना।
2. शासन से प्राप्त अनुदान रूपया 500 द्वारा सहायक सामग्री निर्माण का कक्षा शिक्षण में अपनाये जाने पर बल दिया जाना।
3. गणित विज्ञान जैसे दुरूह विषय के लिये कक्षा शिक्षण के समय किटों के प्रदर्शन पर विशेष बल।
4. दक्षता आधारित शिक्षा पर बल।
5. खेल परक शिक्षा पर बल।
6. समय सारिणी के अनुसार शिक्षण कार्य पर बल।

किन्तु अभी भी सुधार की पर्याप्त संभावना है यथा निम्नांकित बिन्दुओं के प्रति उपाय और व्यवस्था की जरूरत है :–

1. विषय शिक्षण के लिये समय का महत्तम उपयोग किये जाने पर बल।
2. लर्निंग कार्नर तथा टी0एल0एम0 के प्रयोग पर बल।
3. कक्षा शिक्षण के दौरान मूल्यांकन एवं सतत मूल्यांकन पर बल।
4. क्रियात्मक शोध के माध्यम से समस्या निदान पर बल।
5. नई तकनीकी शिक्षा एवं उसके उपयोग पर बल।
7. बच्चों के मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुरूप शिक्षण कार्य पर बल।
8. पाठ्यक्रम के मासिक विभाजन के आधार पर कक्षा शिक्षण पर बल।

स्कूल ग्रेडिंग के आधार पर जो स्थिति उभर कर आयी है उसे उपर्युक्त सारिणी द्वारा दर्शाया गया है। यह स्पष्ट है कि ऐसे विद्यालयों की संख्या काफी है जिनका प्रदर्शन स्तर अच्छा नही है और उन्हें सुधार कर बी, ए श्रेणी में लाना होगा। इन पिछड़ने वाले विद्यालयों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने और इन्हें पृथक अतिरिक्त सहयोग समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है।

ग्रेडिंग प्रणाली के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्कूलों को किस तरह का शैक्षिक समर्थन आवश्यक है, इसका बोध और पर्याप्त क्षमता बी0 आर0सी0 स्तरीय कार्यकताओं को इस दृष्टि से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की भी आवश्यकता है।

ग्रेडिंग प्रणाली में मकतब मदरसों हाईस्कूल इण्टर कालेज की कक्षा 6–8 कक्षाओं को भी शामिल किये जाने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो इसके लिये उपाय की आवश्यकता है ।

बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर :

जनपद में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन समय–समय पर किया गया है। बेस लाइन का प्रथम सर्वेक्षण 93–94 के अन्तिम मासों में सम्पन्न कराया गया। और अन्तिम मूल्यांकन का कार्य वर्ष 2000 में कराया गया। जिसके निष्कर्ष बिन्दु निम्न हैं।

1. प्रथम बेस लाइन सर्वे की अपेक्षा अन्तिम मूल्यांकन सर्वे में देखने में आया है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पाये गये।
2. प्रशिक्षण की प्रभावकारिता व मूल्यांकन दर में प्रगति हुई है।
3. शिक्षण साम्रगी के लिये कार्य तो किया गया लेकिन उपलब्ध कराये गये धन का समुचित प्रयोग देखने का नहीं मिला।
4. शैक्षिक गुणवत्ता की वृद्धि उच्च कक्षाओं में देखने को मिली लेकिन कक्षा 1 में अपेक्षाकृत सुधार कम हुआ।
5. मानक के अनुसार शिक्षा व्यवस्था देखने में नहीं मिली
6. विद्यालय उन्नयन में समुदाय की सहभागिता कम दिखाई दी।

7. अभिलेखों का रखरखाव पूर्ण किया गया किन्तु कार्य विधिवत् संतोषजनक नही मिला।

8. पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में अपेक्षित प्रगति देखने को नही मिली है।

9. परम्परागात मूल्यांकन कार्य किया गया। किन्तु आधार भूत मूल्यांकन व्यवस्था में कमी देखने को मिली।

10. शिक्षकों को अतिरिक्त कार्यो में लगाये जाने के कारण भी ड्राप आउट देखने को मिला।

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा–2 एवं कक्षा–5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया। प्रथम सर्वेक्षण जिसे आधारभूत सर्वेक्षण कहते हैं, 1992–93 में किया गया। मध्यावधि मूल्यांकन जुलाई 1996 में और अन्तिम मूल्यांकन अगस्त 2000 में, निर्धारित विधि से चयनित विद्यालयों में किया गया।

सारणी 3 : कक्षा 2 एवं 5 में भाषा तथा गणित की मध्यमान उपलब्धि (एफ.ए.एस.,2000)

कक्षाएं	भाषा			गणित		
	N	M	SD	N	M	SD
कक्षा 2	616	87.59	10.92	616	85.49	13.23
कक्षा 5	643	89.50	7.66	643	87.72	9.57

सारणी संख्या 3 में भाषा तथा गणित विषयों की कक्षा 2 एवं कक्षा 5 में मध्यमान उपलब्धि एवं मानक विचलन दर्शाये गये हैं। कक्षा 2 भाषा में औसत उपलब्धि 87.59 प्रतिशत तथा मानक विचलन 10.92% है जबकि कक्षा 2 गणित में औसत उपलब्धि 85.49 प्रतिशत एवं मानक विचलन 13.23% है। सारणी 2 यह भी दर्शाती है कि कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि 89.50 प्रतिशत है जबकि मानक विचलन मात्र 7.66 है इसी प्रकार कक्षा 5 गणित में मध्यमान 87.72 प्रतिशत एवं मानक विचलन 9.57 है। कक्षा 5 में दोनों ही विषयों भाषा एवं गणित में मानक विचलन का कम होना यह दर्शाता है कि सभी छात्र लगभग समान स्तर के हैं।

सारणी 4 : कक्षा 2 में भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि (एफ.ए.एस. 2000)

	बालक			बालिका		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	323	87.00	11.70	323	88.20	10.00
गणित		86.00	12.30		85.00	13.70

सारणी संख्या 4 यह दर्शाता है कि कक्षा 2 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 87.00 प्रतिशत है जबकि गणित में यह उपलब्धि 86.00 प्रतिशत है।

कक्षा 2 भाषा एवं गणित में बालिकाओं की उपलब्धि भी बालकों के सापेक्ष लगभग समानता पर है। भाषा में बालिकाओं की औसत उपलब्धि 88.20 प्रतिशत तथा गणित में 85.00 प्रतिशत है।

सारणी 5 : कक्षा 5 भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि (एम.ए.एस. 2000)

कक्षाएं	बालक			बालिका		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	339	90.2	7.3	339	88.7	8
गणित		88	9.9		87.4	9.2

सारणी 5 प्रदर्शित करती है कक्षा 5 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 90.2 प्रतिशत जबकि गणित में 88 प्रतिशत है। इसी प्रकार लगभग बालकों के समान ही बालिकाओं की औसत उपलब्धि भाषा में 88.7 प्रतिशत तथा गणित में 87.4 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि भाषा एवं गणित में समान है।

सारणी 6 : कक्षा 2 भाषा तथा गणित में वर्गवार मध्यमान उपलब्धि (एम.ए.एस. 2000)

कक्षाएं	अनु.जाति/जनजाति			अन्य		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	275	87.70	8.80	341	87.50	12.40
गणित		86.20	11.50		85.70	10.50

सारणी 6 दर्शाती है कक्षा 2 भाषा में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की औसत उपलब्धि 87.70 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग में यह 87.50 प्रतिशत है। इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति बालकों की औसत उपलब्धि 86.20 प्रतिशत एवं मानक विचलन 11.50 है और अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 85.70 प्रतिशत एवं मानक विचलन 10.50 है।

सारणी 7 : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में वर्गवार औसत उपलब्धि (एम.ए.एस. 2000

कक्षाएं	अनु.जाति/जनजाति			अन्य		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	231	88.6	7.7	164	89.2	8.9
गणित		86	9.5		88.8	9.2

सारणी 7 प्रदर्शित करती है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की कक्षा 5 भाषा में

औसत उपलब्धि अन्य वर्ग के बालकों के लगभग समान है। अनुसूचित जाति/जनजाति की बालकों की भाषा में औसत उपलब्धि 88.6 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग के बालकों की उपलब्धि 89.2 प्रतिशत है। कक्षा 5 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की औसत उपलब्धि 86 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 88.8 प्रतिशत है।

सारणी 8 : कक्षा 2 भाषा एवं गणित में आधारभूत, मध्यावधि एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	583	50.05	29.85	666	39.40	27.25	616	87.59	10.92
गणित	583	24.43	33.42	666	46.35	32.14	616	85.49	13.23

सारणी 8 दर्शाती है कि कक्षा–2 भाषा में अन्तिम मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 87.59 प्रतिशत रही जबकि यह मध्यावधि में 39.40 तथा आधारभूत सर्वेक्षण में 50.05 प्रतिशत थी इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में भी अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में बालकों की औसत उपलब्धि 85.49 प्रतिशत प्राप्त हुई जबकि यह आधारभूत सर्वेक्षण में 24.43 प्रतिशत तथा मध्यावधि सर्वेक्षण मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 46.35 प्रतिशत रही। उपर्युक्त सारणी 7 से यह स्पष्ट होता है कि कक्षा 2 भाषा एवं गणित में मध्यावधि एवं आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण की तुलना में अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में सार्थक बढ़ोतरी हुई जो उद्देश्यानुसार 50 प्रतिशत से भी अधिक रही।

सारणी 9 : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में आधारभूत सर्वेक्षण, मध्यावधि सर्वेक्षण तथा अन्तिम सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	680	40.20	14.44	611	42.86	9.69	643	89.50	7.66
गणित	680	30.40	14.25	611	32.25	9.33	643	87.72	9.57

सारणी 9 प्रदर्शित करती है कि कक्षा 5 भाषा में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में जहाँ बच्चों की औसत उपलब्धि मात्र 40.20 प्रतिशत थी वही मध्यावधि में यह बढ़कर 42.86 प्रतिशत एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में 89.50 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार गणित में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में औसत उपलब्धि 30.40 प्रतिशत से बढ़कर मध्यावधि में 32.25 प्रतिशत तथा अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में यह बढ़कर 87.72 प्रतिशत रही।

इसी प्रकार जनपद में वर्ष 2000 में क्लास रूम आबजर्वेशन स्टडी करायी गयी (एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा)जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है– प्राथमिक स्तर पर गणित भाषा के गुणवत्ता का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए क्लास रूम आबर्जवेसन स्टडी सर्वे एस0सी0ई0आर0टी0 के विशेषज्ञों द्वारा तैयार टूल्स तथा (सिस्टम) तंत्र के अनुसार विद्यालयों में शिक्षक और छात्रों के बीच शिक्षण गति

विधि को बिल्कुल प्राकृतिक रूप में इस सर्वेक्षण में मापने का प्रयास किया गया। प्राकृतिक रूप का अभिप्राय है कि दिन प्रति दिन के शिक्षण में जिस प्रकार शिक्षण गति विधि अपनाई जाती है वह मूलतः उसी रूप में मापी जा सके ऐसा न होने पाये कि अध्यापक पर्यवेक्षण के समय अपने दिन प्रतिदिन के शिक्षण में पर्यवेक्षण के दिन/समय कक्षा शिक्षण के सुधार लाने के दृष्टि से कक्षा को बनावटी या अप्राकृतिक बना ले।

इस अध्ययन में अध्यापक छात्र के बीच शिक्षण गतिविधियों के अलावा यह भी आयोजन किया गया कि छात्र अध्यापक की सहभागिता कितनी स्पष्ट है। बालिकाओं तथा विशिष्ट बच्चों जैसे विकलांग, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रति अध्यापक कितना सजग है।

<u>शिक्षकों के बारे में:-</u>

शिक्षकों के बारे में क्लास रूम आबजर्वेशन के अन्तर्गत निम्न गतिविधियाँ देखने को मिली।

1. गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य 60 प्रतिशत के लगभग देखने को मिला।
2. 80 प्रतिशत समयबद्धता भी अधिकांश विद्यालयों में देखने को मिली।
3. कक्षा शिक्षण के प्रति सजगता 60 प्रतिशत अध्यापकों में देखने को मिली।
4. 50 प्रतिशत सहायक सामग्री का उपयोग भी देखने को मिला।
5. 10 प्रतिशत ऐसे भी अध्यापक पाये गये जिससे ऐसा पता चला कि वह वादन का समय किसी तरह व्यतीत करना चाहते है।

कक्षा की प्रक्रिया के बारे में:-

1. क्रिया आधारित जिज्ञासा कम देखने को मिली
2. विद्यालयों के अध्ययन से कुछ विद्यालयों में यह भी देखने को मिला कि जिन कक्षाओं का आब्जर्बेसन किया जाना था उन कक्षाओं के बच्चों को दूसरी कक्षा के बच्चों से अलग कर टूल्स भरना संभव हो पाया।
3. छात्रों द्वारा डायरेक्टिंग यानी सिस्टम कोड 18 में बच्चे लगभग न के बराबर पाये गये।
4. जागरूकता लड़को में 42 प्रतिशत बालिकाओं में 35 प्रतिशत देखने को मिली

शिक्षण विधियों के बारे में:-

1. नवाचार युक्त शिक्षण विधियों का उपयोग देखने को कम मिला।
2. उचित गुणवत्ता की शिक्षण विधियाँ प्रायः कम पायी गयी।
3. प्रशिक्षण की प्रभावकारिता शिक्षण विधियों में कम पायी गयी।

शिक्षण सामग्री के बारे में :–

1. सहायक सामग्री कक्षा में 80 प्रतिशत देखने को मिली
2. 50 प्रतिशत दृश्य सामग्री का उपयोग देखने को मिला।
3. 50 प्रतिशत अध्यापकों के पास पाठ्य पुस्तकों का अभाव पाया गया।
4. विभिन्न प्रशिक्षणों की प्रभावकारिता प्रशिक्षण के अनुरूप प्रायः कम देखने को मिली।

शिक्षण सामग्री का उपयोगः–

डायट द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान प्रायः ऐसा देखने में आता है कि सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग कक्षा शिक्षण में कम हो रहा है। रुपया 500/– शासन द्वारा प्रतिवर्ष सहायक सामग्री निर्माण हेतु दिये जाने के बाद भी इसका सही व समुचित उपयोग बहुत ही कम देखने को मिल रहा है जिसके लिये डायट के प्रभारी प्रवक्ताओं/ बी0आर0सी0 समन्वयकों/न्याय पंचायत स्तर के समन्वयकों द्वारा प्रेरित भी किया जा रहा है कक्षा शिक्षण के समय वांछित सहायक सामग्री के प्रदर्शन पर आवश्यक बल दिया जाये यदि ऐसा नही होगा तो विषयवस्तु स्पष्ट नहीं हो पायेगी।

प्रायः ऐसा देखना में आया है कि गरीब परिवार के बच्चे विद्यालय में न जा कर बाल मजदूरी, खेती बाडी तथा अन्य कारखानों में काम करते है। ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए समाज को प्रेरित करने की आवश्यकता है तथा मलिन बस्तियों को चिहिन्त कर इन बच्चों के लिए प्रथक रणनीति और कार्यक्रम निश्चित करने की आवश्यकता है स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग लेकर मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण कार्यक्रम तैयार कर चलाने की आवश्यकता है।

जनपद में स्कूलों कक्षाओं व शिक्षकों के विवरण को देखते हुए यह स्पष्ट है बहुकक्षा शिक्षण की समस्या अभी भी है जैसा कि सारणी–9.5 द्वारा प्रदर्शित है।

सारणी–9.5

स्कूलों की कक्षाओं की स्थिति–प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर

विघालय स्तर	एक शिक्षक विद्यालय संख्या	दो शिक्षक विद्यालय संख्या	तीन शिक्षक विद्यालय संख्या	चार शिक्षक विद्यालय संख्या	पाँच शिक्षक विद्यालय संख्या	पाँच से अधिक शिक्षक विद्यालय संख्या
प्राथमिक स्तर	111	263	168	101	55	72
उच्च प्राथमिक स्तर	07	17	28	24	35	33

स्रोत– बे. शि. अ., औरैया

प्राथमिक स्तर के एकल विद्यालयों का प्रतिशत 14 है । दो शिक्षक विधालयों का प्रतिशत 34 है तीन शिक्षक विद्यालयों को प्रतिशत 22 है चार व पांच शिक्षकों वाले विद्यालय क्रमशः 7 व 9 हैं पाँच से अधिक शिक्षकों का प्रतिशत 11 है। अतः ऐसी स्थिति में जहाँ एकल विद्यालय है वहाँ बहुकक्षा शिक्षण विधा के अपनाने पर बल देने की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक विद्यालयों का प्रतिशत 3.3 है। दो शिक्षक विद्यालय का प्रतिशत 13.53 है। चार शिक्षक विद्यालय संख्या का प्रतिशत 11.59 है। पाँच शिक्षक विद्यालय का प्रतिशत 16.91 है। पाँच से अधिक शिक्षक विद्यालय का प्रतिशत 15.94 है। बहुकक्षा शिक्षण विधा उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। विशेष विषयों जैसे– उर्दू, संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के लिये अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

प्राथमिक स्तर पर छात्रांकन को मद्देनजर रखते हुये नवीन नियुक्तियाँ की गई। किन्तु अभी भी शिक्षकों की कमी के कारण बहुकक्षा शिक्षण स्थिति बनी हुई है इसके लिए विभिन्न प्रकार के कारण भी उत्तर दायी सिद्ध हुए है। डायट स्तर पर भी आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षकों में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति में शिक्षण करने के लिए विविध प्रकार की तकनीकी एवं विधाओं से परिचित कराया गया। जिसका प्रभाव विद्यालयों में बच्चों पर अनुकूल पड़ा। सभी कक्षाओं के बच्चे किसी न किसी शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय रहते पाये गये, किन्तु अभी भी यह अनुभव किया गया है कि शिक्षक बहुकक्षा शिक्षण स्थिति को ठीक से संभाल नही पाते। सार्थक शिक्षण/अनुभव नहीं दे पाते। अतः इस दृष्टि से प्रशिक्षण देने और सामग्री विकास की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान/गणित शिक्षकों का अभाव

विद्यालय भ्रमण कार्यक्रम से यह तथ्य सामने आया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र नामांकन एवं कक्षा तथा विषय के अनुसार शिक्षकों की कमी है। विशेष रूप से विज्ञान एवं गणित शिक्षकों का अभाव है। इस दिशा में विभाग द्वारा विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की पूर्ति होना नितान्त आवश्यक है जिससे बच्चों की गणित एवं विज्ञान विषयों में अधिगम स्तर सुधर सके । प्रायः निरीक्षण के दौरान यह देखने में आया कि बहुत से शिक्षक विज्ञान एवं गणित विषयों के शिक्षण हेतु निर्धारित योग्यता नही रखते है फिर भी व्यवस्था के तौर पर उन्हें उक्त विषयों का शिक्षण करना पड़ता है। फलस्वरूप किसी न किसी स्तर परे विषयगत कठिनाई अनुभव करते हैं। जिसका सीधा प्रभाव बच्चों के अधिगम पर पड़ता है इस दृष्टि से निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की आवश्यकता है।

शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं :

शिक्षक विद्यालय में कार्य करने के दौरान जिन समस्याओं को अनुभव करते है/सामना करते

है उनकी जानकारी स्कूल भ्रमण और पर्यवेक्षण के दौरान मिलती है ऐसी कुछ चुनौतियाँ/कठिनाइयाँ इस प्रकार है–

1. पुराने बी0टी0सी0 अध्यापक यद्यपि गणित–विज्ञान का शिक्षण करते तो है लेकिन प्रभाव पूर्ण ढंग से नहीं कर पाते है। यही समस्या संस्कृत व अंग्रेजी विषयों के साथ भी हैं।
2. गणित, विज्ञान, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में अध्यापक पढ़ाये जाने वाले विषय वस्तु के प्रति संज्ञानात्मक रूप से अनभिज्ञ या अल्पज्ञान प्रदर्शन करते पाये जाते है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें पढ़ाये जा रहे विषय वस्तु के सम्बन्ध में शैक्षिक सपोर्ट प्रदान कर प्रभावी शिक्षण दिया जाय।

इस प्रकार संज्ञानात्मक पक्ष की कमी से अध्यापक विषय वस्तु की अवधारणा को स्पष्ट नहीं कर पाते है जो कि सीखने–सिखाने की प्रक्रिया में अभिवृद्धि करने और गुणवत्ता प्रदान करने में सहायक होती है।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक कहते है कि जो बच्चे प्राथमिक विद्यालयों से आते है वे पूरी तरह से तैयार नहीं होते है। उनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर बहुत कम/मानक से कम होता है।

इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में यह बात संज्ञान में आती है कि निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शिक्षकों के साथ बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि सन्तोष जनक स्थिति की न होने की चर्चा की जाती है। यह कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षकों द्वारा नवीन शिक्षण विधाओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है किन्तु तथ्यों की परिवेशीय शैक्षिक/परिस्थितियाँ अनुकूल एवं सकारात्मक न होने से विद्यालय में रहकर बच्चे जितना सीख पाते हैं, अधगमित विषय वस्तु विस्मृत कर बैठते है। फलतः उनका अधिगम स्तर धीरे–धीरे न्यून हो जाता है। जो उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिये एकसमस्या के रूप में सामने आता है। उक्त परिस्थितियों वश प्राथमिक स्तर के बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नही होती है। आज के वर्तमान परिवेश में प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु शिक्षकों से समुदाय की काफी अपेक्षायें है। जिससे शिक्षा के गिरते स्तर में अपेक्षित सुधार हो सके।

समुदाय अपने सेवित क्षेत्र के विद्यालय शिक्षकों से इस बात की अपेक्षा रखता है कि हमारे समुदाय के बच्चों का शैक्षिक स्तर गुणात्मक हो। समाज की आवश्यकता के अनुसार बालक नैतिक गुणों से भरपूर हो । इसके लिये सभी शिक्षक समय से विद्यालय आयें। पूरे समय तक विद्यालय में रुक कर पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य करें। समय–समय पर समाज को दिशा देने वाले विविध प्रकार के आयोजन करें। जिससे बालकों में नेतृत्व के गुणों का विकास हो और हमारा समाज/ समुदाय आदर्श स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

प्रशिक्षणोपरान्त दिखाई देने वाली दिक्कतें

प्रशिक्षण के दौरान बताई गई विधियों की प्रभावकारिता दिखाई नही देती है। शिक्षक कक्षा में बच्चों की अभिरूचि को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण में बताई गई विधि में से एक या दो का ही प्रयोग करता है। मूल्यांकन की सतत् प्रक्रिया शिक्षकों द्वारा नही अपनाई जाती है। सहयोगी अधिगम प्रक्रिया का अनुपालन कराने में कठिनाई का अनुभव करते है। स्कूल कक्षा में जो प्रकिया दिखाई देती है वह कई तरह की कठिनाइयों को उजागर करती है।

1. कक्षा में भीड़ भाड़ है और शिक्षक उन्हें ठीक से संभाल नही पा रहे हैं।
2. सभी बच्चों पर शिक्षक का पर्याप्त ध्यान नही है।
3. शिक्षण अधिगम सांमग्री विषय वस्तु के अनुसार नही होती और ऐसी सामग्री नही रहती जिसे बच्चे भी अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर सके।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद औरैया में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

बी.आर.सी. को संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका लाभ शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं :

– विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन और फालोअप करते हैं।
– विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।

- वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
- एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
- ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन.
- डायट के मार्गदर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयेाजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका– संकुल स्तर पर शैक्षिक, अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रित बिन्दु एन.पी.आर.सी. है स्थानीय समुदाय के अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचि.ण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों के सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निन्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बाल गणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण, योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभ्रमण तथा सूचनाओं के आदान प्रदान।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूनिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं –

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम को विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
2. प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों

को ही प्रदान प्रशिक्षण किया जा सका।

3. प्रशिक्षण के उपरांत फालोअप खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

एस.एस.ए. के अंतर्गत गुणवत्ता विकास के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षणः–

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद औरैया में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद–विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों तथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कार्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों,

शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी रीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6--8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षकों में गुणवत्ता का विकास तभी सम्भव हो सकता है जब शिक्षकों के ज्ञान, कौशल एवं उनकी दक्षताओं के विकास के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाये । इन प्रशिक्षणों में अध्यापक के विषय ज्ञान की वृद्धि के उपायों पर विचार विमर्श होगा । इसके साथ अध्यापक छात्रों में एकाग्रता, पठन पाठन, स्मरण की क्षमता, अधिगम दक्षता का विकास कैसे करेगा ? इसका प्रायोगिक अभ्यास करें। अध्यापक छात्रों को अध्ययन हेतु मानसिक रूप से कैसे तैयार करेगा? अध्ययन का समय, अवधि, अध्ययन की समाप्ति पर प्रत्यास्मरण का अभ्यास कैसे कराया जायेगा? इसकी दक्षता अध्यापक में प्रशिक्षण द्वारा विकसित की जायेगी। प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण भी कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष आयोजित होगा। इस प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबन्ध, भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, स्वास्थ्य शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग आदि के विषय में नव विकसित विधाओं पर चर्चा होगी । नवनियुक्त अथवा मृतकाश्रित अध्यापकों की संख्या प्रत्येक ब्लाक में भिन्न हो सकती है। इसलिए सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डाएट में संपादित होगा । नियुक्ति के पश्चात सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण का आयोजन यथाशीघ्र किये जायेंगे । प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों हेतु भी यह प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

भाषा की दक्षताओं का विकास, नवीन पुस्तकों के पाठन कौशलों पर अभ्यास। इन प्रशिक्षणों का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर होंगे तो कम समयावधि में प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न हो सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण खण्ड संसाधन केन्द्र पर सम्पादित किये जायेंगे। इन प्रशिक्षणों के लिए

सन्दर्भ दाता का प्रशिक्षण डाएट में सम्पन्न होगा। डाएट के सतत् पर्यवेक्षण से प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जा सकता है । प्रशिक्षण के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कितने दिवस निर्धारित किये जाये, यह भी पूर्व ही सुनिश्चित कर लिया जायेगा। प्राथमिक विद्यालयों में "शिक्षा–मित्र" योजना के अन्तर्गत शैक्षिक वातावरण में नवीनीकरण का प्रयास किया जा रहा है । विद्यालयों में नियुक्त शिक्षा–मित्रों तथा अध्यापकों हेतु साथ–साथ प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे क्योंकि पूर्व कार्यरत अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों के कार्य एवं दायित्व समान है । विद्यालय का शिक्षण कार्य बाधित न हो । इसलिए सभी अध्यापकों का एक साथ प्रशिक्षण में सम्मिलित होना उचित नहीं है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने में डाएट, खण्ड संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र में तालमेल बनाने के दृष्टिकोण से कार्यो का विकेन्द्रीकरण श्रृंखलाबद्ध किया जायेगा ।

शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, भाषा शिक्षक, विज्ञान–गणित शिक्षक, खण्ड संसाधन केन्द्र के समन्वयकों तथा सह–समन्वयक, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों की प्रतिभागिता होगी। उच्च प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था भी डायट सुनिश्चित करेगा ।

वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों तथा अन्य अभिकर्मियों का प्रशिक्षण डाएट वर्ष में दो बार अवश्य करेगा ।

प्रशिक्षण देने हेतु कुशल संदर्भदाता डाएट द्वारा चयनित किये जायेगे । प्रशिक्षकों (संदर्भ दाता) का चयन स्थानीय शिक्षा विदो में से किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा से अविरल रूप से जुड़े व्यक्तियों को ही संदर्भदाता चयनित किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा सुधार कार्यक्रमों से जुड़े गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्य भी संदर्भदाता चुने जा सकते है। भाषा दक्षता प्रशिक्षण में भाषा विद् ही संदर्भ दाता नियुक्त होगे । अन्य विषयों में विषय–विशेषज्ञ एवं दक्षता प्राप्त संदर्भ दाता नियुक्त होगे। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण डाएट में आयोजित होगा। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर डाएट में संदर्भ दाताओं को प्रशिक्षित करेंगे।

विज्ञान व गणित विषय का प्रशिक्षण मॉड्यूल राज्य स्तर पर विकसित किये जायेंगें। भाषा एवं पर्यावरण विषय का प्रशिक्षण मॉड्यूल जनपद स्तर पर विकसित किया जायेगा तथा उनका मुद्रण भी जनपद स्तर पर होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते समय दूरस्थ शिक्षा माध्यमों का उपयोग अधिकाधिक किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षण में नव विकसित शैक्षिक तकनीक तथा उपकरणों द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। डी.आर.एस. सिस्टम का अपग्रेडेशन किया जायेगा तथा उन्हें डिजीटल बनाया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तकों पर केन्द्रित ६ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया

जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुनानित है तथा इस प्रकार रु0 40 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन. पी. आर .सी स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

   द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 40 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने

सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

   तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 40 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

   इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 40 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 50 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा

सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी इसी अनुक्रम में बी.

आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्मान हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी. आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक

मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में 'टेस्ट आइटम' बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा इसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 161 शिक्षामित्रों तथा 2-1 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. वैकल्पिक शिक्षा – जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 118 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 100 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार 'आधारशिला' (भाग I व II) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता हैं। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी / एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग

किया जायेगा। बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए, एस.डी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए. एस.डी.आइ. को महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–III के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एन.जी., एन.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के

कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ाना:–

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सत्र 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर 20 मई तक रहता है जिसमें मात्र 220 दिन ही कार्य दिवस रूप से में उपलब्ध हो पाते हैं। इन्हीं कार्य दिवसों में शिक्षण कार्य, परीक्षाएं तथा विद्यालय सम्बन्धी अन्य कार्यों का सम्पादन होता है। विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु मात्र 165–175 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं। निम्नांकित सारणी 8,9 द्वारा स्कूलों में वास्तविक शिक्षण समय को दर्शाया गया है।

सारिणी 8

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय :–

		प्राथमिक स्तर घंटा/समय	उच्च प्राथमिक घंटा/समय
भाषा 1	हिन्दी	9 घण्टे	9 घण्टे
भाषा 2	संस्कृत/उर्दू	6 घण्टे	6 घण्टे
भाषा 3	हिन्दी	6 घण्टे	8 घण्टे
विज्ञान		6 घण्टे	7 घण्टे
गणित		9 घण्टे	10 घण्टे
सामाजिक विषय		6 घण्टे	6 घण्टे
समाजोपयोगी कार्य		4 घण्टे	4 घण्टे
कला शिक्षण		2 घण्टे	2 घण्टे

स्रोत: बे. शि. अ., औरैया

स्कूल समय सारिणी के अनुसार प्रारम्भिक व उच्च विद्यालयों में शिक्षण अवधि मात्र 5 या 6 घण्टे होती है। इसी अवधि में विभिन्न कक्षाओं के वार्षिक पाठ्यक्रम को विभाजित कर शिक्षण कार्य किया जाता है। समय सारिणी में मुख्य विषयों का अधिक स्थान दिया जाता है जबकि अन्य विषयों को अपेक्षाकृत कम समय ही मिल पाता है।

शिक्षण दिवस मात्र 165–175 दिन होने के कारण विभिन्न कक्षाओं के वार्षिक पाठ्यक्रम का शिक्षण कक्षा में पूर्ण नहीं हो पाता है।

सारिणी 8

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण के लिए दिवस	175	165
परीक्षा	20	25
अन्य कार्य	15	20
नष्ट हो जाने वाले दिन	10	——

स्रोतः बे. शि. अ., औरैया

उपर्युक्त सारिणी–9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 175 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 165 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परिक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समयसे अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एन0सी0ई0आर0टी.

उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1.20 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 1.80 करोड़ रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2 लाख धनराशि व्यय होगी।

• प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा हैं। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 48 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 72 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ट एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूलयांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद

स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी., एन. पी. आर. सी. समन्वकों की पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यकम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यकमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों से प्राप्त संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञ शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार क्रमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रकिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.

आर.सी, बी.आर.सी. की सहायता ली जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

एक्शन रिसर्च :

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूंढने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रिपीटेशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित है किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर किये जायेंगे तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेंगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम

समर्थन प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण	30 दिन	
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकत्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत वि[illegible]यों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षक	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वारम्भ प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुनें हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मैटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ चुने हुए शिक्षक	03 दिन

18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्तर, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	हुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी.आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेंगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी

वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- 0 सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- 0 विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- 0 वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- 0 समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- 0 ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- 0 अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- 0 बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- 0 शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 0 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- 0 बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- 0 प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

- 0 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।
- 0 शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- 0 विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- 0 वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- 0 ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- 0 स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- 0 शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 0 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- 0 एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

सप्लीमेन्ट्री रीडिंग मैटेरियल :

जनपद के लिये सरल पाठ्यक्रम के विकास तथा बच्चों के लिये सप्लीमेन्ट्री रीडिंग मैटेरियल के विकास हेतु डायट द्वारा (गुइयाँ) नामक पुस्तिका का निर्माण किया गया इस हेतु इलाहाबाद व लखनऊ में डायट प्रवक्ता तथा जनपद इटावा/औरैया के लेखन कार्य में रुचि रखने वाले अध्यापकों ने प्रतिभाग किया। इसी क्रम में डायट अजीतमल में भी कई कार्यशालायें चलाई गई। पुस्तिका प्रिंटिंग हेतु तैयार है। पुस्तिका इटावा की क्षेत्रीय बोली में विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार कराई गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सप्लीमेन्टीरीडिंग मैटीरियल का विकास एवं डायट स्तर पर कराया जायेगा जिसमें समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

डायट स्तर से शिक्षकों शिक्षा अधिकारियों तथा बी0आर0सी0 के लिये मासिक न्यूज पेपर (डायट दर्पण) का प्रकाशन नियमित रूपसे बी.ई.पी. के तहत होता रहा है भविष्य में सर्वशिक्षा अभियान के तहत डायट स्तर पर बजट आवंटन हो जाने पर सतत् रूपसे प्रक्रिया जारी रहेगी।

नवाचार कार्यक्रम–

नगर क्षेत्रों में मलिन क्षेत्रों में रहने वालों बच्चों स्टीट चिल्ड्रन के लिये शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सम्पन्न कराने हेतु सबसे पहले फोकस ग्रुप डिस्कशन के रूप में विचार विमर्श करके स्थान का चयन कराया जायेगा। तत्पश्चात् उनके प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था डायट स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण के सुधार के लिये अभिनव कार्य उपकेन्द्र न्याय पंचायत स्तर पर स्थित अच्छे उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाई स्कूल इण्टरमीडियट में से किसी विद्यालय का डी0आई0ओ0एस0 व बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा चुनाव कर उनमें विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृणीकरण, उपकरणों की व्यवस्था करना तथा आसपास के शेष प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों से उनको जोड़कर विज्ञान शिक्षण के लिये सघन कार्यक्रम चलाया जायेगा।

बच्चों की उपलब्धि से अभिभावकों को अवगत कराने के लिये प्रत्येक अध्यापक को यह जिम्मेदारी सौंपी जायेगी कि वह अपने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के घर माह में एक बार सम्पर्क कर उसके उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इसी क्रम में अभिभावक संघ का गठन किया जायेगा जिसकी वर्ष में दोबार बैठक सम्पन्न कराई जायेगी। जिससे समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी सन्निहित होगी।

<u>योजना निर्माण की प्रक्रिया :–</u>

योजना निर्माण की प्रक्रिया में निम्न घटकों का सहयोग लिया गया है जो इस प्रकार है–

(1) सर्व प्रथम जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की बैठक में विचार–विमर्श के दौरान विचारों का सहयोग लिया गया।

(2) फोकस ग्रुप डिसकशन के अन्तर्गत डायट स्तर पर स्टाफ से विचार विमर्श किया गया। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0 समन्वयकों के अथक प्रयास एवं वार्ता के फलस्वरूप जो बिन्दु उभर कर सामने आये उन बिन्दुओं को निष्कर्ष रूप में चुना गया और योजना निर्माण में सम्मिलित किया गया।

(3) योजना निर्माण की प्रक्रिया में पर्यवेक्षण से प्राप्त अनुभवों का भी उपयोग किया गया है। पर्यवेक्षण का कार्य डायट के प्रभारी प्रवक्ताओं एवं बी0आर0सी0 समन्वयकों तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा कराया जाता रहा है। इस प्रकार प्राप्त अनुभवों के आधार पर योजना की रणनीति का निर्धारण किया गया है।

(4) स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं एवं समुदाय के सभी सदस्यों का योजना निर्माण की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग लिया गया।

कार्यालय - प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजीतमल-औरैया/इटावा।

प्राथमिक स्तरीय प्रशिक्षण (परियोजना अवधि में)

बी०आर०सी० एवं डायट स्तर पर आयोजित

चक्र/प्रशिक्षण	बी०आर०सी०स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक	डायट स्तर पर प्रशिक्षिक शिक्षक	कुल प्रशिक्षित	अन्य
प्रथम चक्र	4517	738	5255	
द्वितीय चक्र	4052	358	4410	
तृतीय चक्र	3938	352	4290	
चतुर्थ चक्र	3908	92	4000	
पंचम चक्र	3441	28	3469	शेष 1344

ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर सम्पन्न उच्च प्राथमिक स्तरीय प्रशिक्षण :-

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षित शिक्षक	अन्य
गणित प्रशिक्षण	427	
विज्ञान प्रशिक्षण	502	

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

भवन का विस्तार

		अनुमानित लागत (रु०लाख में)
1.	कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
	योग	**50.00 लाख**

उपकरण/साज सज्जा

1.	कम्प्यूटर,(4) प्रिंटर्स, यू.पी.एस.	6.00
2.	फोटोकापियर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी–मेज	1.00
4.	जनरेटर, वाटर कूलर, डुपलिकेटिंग मशीन, फैक्स मशीन	1.50
	योग	**10.00 लाख**

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध/अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालाएं/सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटिन्जेसी	1.00
5.	वाहन रख–रखाव/पी.ओ.एल.	0.50
	योग	**10.00 लाख**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उयपोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रवंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली:-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रवंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

निर्णयकर्ता समितियां	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए०पी०बी० →	राज्य परियोजना कार्यालय	← एस०सी०ई०आर०टी० एस०आई०ई०, साइमेट एस०आई०ई०टी० एन०जी०ओ० आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति →	जिला परियोजना कार्यालय	← डायट, एन०जी०ओ० आदि
क्षेत्र विकास समिति →	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	← ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति →	विद्यालयप्रधानाध्यापक/अध्यापक	← संकुल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भुमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकेल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

- ❖ जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव
- ❖ प्राचार्य डायट - सदस्य
- ❖ जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
- ❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
- ❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0) - सदस्य
- ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
- ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) - सदस्य
  जिलाधिकारी द्वारा नामित
- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला कम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जावेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी	
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1 प्रतिनियुक्ति पर	
3.	समन्वयक	4 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर	
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्वय की तरह करेगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था:-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नही दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवियर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवियर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियें का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिपोंट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सेम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेंनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाघ्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटूर्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेटूर्स का उपयोग डिसिजन स्पोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अर्न्तगत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगा:-

1. नवीन विद्यालयें हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियें की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियें की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयें का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयें की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयें व न्याय पंचायतें का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहें की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने सें सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडीः-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टमः-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को वढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अन्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगेः-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वंम सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

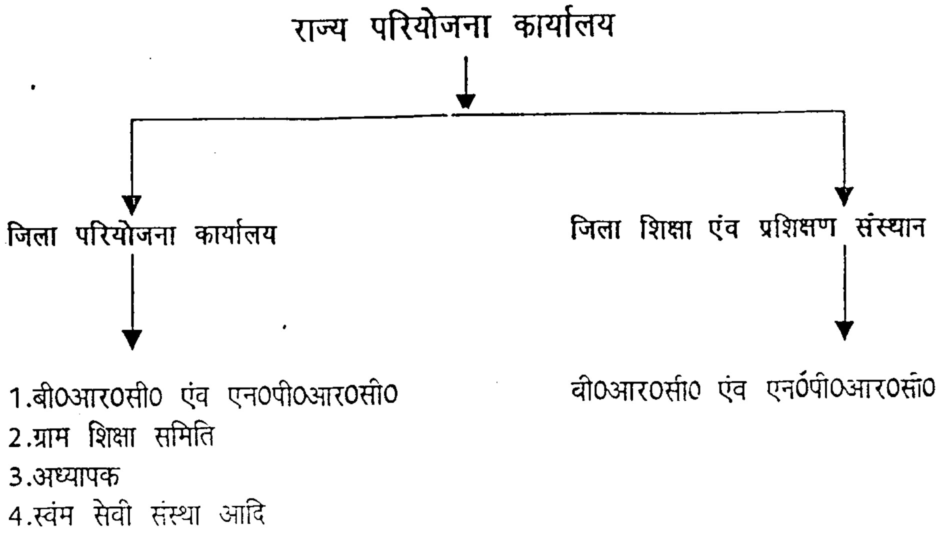

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना:-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

31.07.2001

SERVE SHIKSHA ABHIYAN

AURAIYA

(Rs. in thousand)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	**ACCESS**													
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	30	7770									30	7770
1	New Upper Primary Schools	451 (383+10+18+40)	40	18040	98	44198							138	62238
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) (1Tr+1SM)	11.25	60	6075	60	8100	60	8100	60	8100	60	8100	300	38475
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	9	160	12960	552	59616	552	59616	552	59616	552	59616	2368	251424
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	10	40	3600	50	4500	50	4500	50	4500	50	4500	240	21600
5	Furniture / Fixture & Equipment													
	PS	10	30	300									30	300
	UPS	50	40	2000	98	4900							138	6900
6	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
	Total		**401**	**50945**	**859**	**121514**	**663**	**72416**	**663**	**72416**	**663**	**72416**	**3249**	**389707**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10											0	0
	Cohart Study	200	1	200					1	200				
	Total		**1**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**200**	**0**	**0**	**2**	**400**
	Interventions for out of school children													
A3	Alternative School (EGS + AIE)													
	EGS													
	Primary Including all models of DPEP	0.705 per child	5500	3878	7800	5499	4000	2820	1500	1058			18800	13255

SERVE SHIKSHA ABHIYAN
AURAIYA

31.07.2001 (Rs. in thousand)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Upper Primary	1.0 per child	5310	5310	4500	4500	3000	3000	1000	1000	400	400	14210	14210
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250
	Total		**10811**	**9238**	**12301**	**10049**	**7001**	**5870**	**2501**	**2108**	**401**	**450**	**33015**	**27715**
A4	Back to school campaign	1.5 per child	75	113	60	90	50	75	50	75			235	353
	Innovation for EGS	50	1	50									1	50
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	50	75	50	75							100	150
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa												0	0
	SubTotal (A)		**11339**	**60621**	**13270**	**131728**	**7714**	**78361**	**3215**	**74799**	**1064**	**72866**	**36602**	**418375**
(R)	**RETENTION**													
	Additional Classrooms	70	110	7700	400	28000	300	21000					810	56700
	Additional Teachers Primary School	9	139	11259	288	31104	416	44928	529	57132	646	69768	2018	214191
	Additional Teachers Primary School (SM)	2.2	139	2752	288	7603	416	10982	529	13966	646	17054	2018	52358
R1	Toilets (PS + UPS)	10	40	400	300	3000	300	3000	200	2000		0	840	8400
	Rec. of Old PS	191	24	4584	11	2101							35	6685
	Rec. of Old UPS	383	2	766	5	1915							7	2681
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	52	936	25	450							77	1386
	Repair													
	Minor	20	40	800	40	800							80	1600
	Major	70	15	1050	10	700							25	1750

151

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
AURAIYA

31.07.2001 (Rs. in thousand)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R3	Maintenance of School	5PA/per schools	993	4965	1063	5315	1161	5805					3217	16085
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school	786	1572	816	1632	816	1632	816	1632	816	1632	4050	8100
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school	207	414	247	494	345	690	345	690	345	690	1489	2978
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district				5000		5000		5000		5000		20000
	Promoting Girls Education													
	Summer Camps	10 per camp	8	80	8	80	8	80	8	80	8	80	40	400
R6	MCDA including	75 per cluster	4	300	4	300	4	300	4	300	4	300	20	1500
	Gender Sensitization													
R7	SUPW for girls	25 per school	4	100	4	100	4	100	4	100	8	200	24	600
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre	20	360									20	360
1	Strengthening ICDs Centres													
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district	1	100									1	100
4	Civil Works (one additional room)	70											0	0
5	TLM	5 per centre	20	100	40	200	40	200	40	200			140	700
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	40	180	40	180	40	180	40	180			160	720
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre	20	30	60	90	100	150	140	210			320	480
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)													

31.07.2001

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
AURAIYA

(Rs. in thousand)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Induction	3	40	120	40	120	40	120					120	360
	Recurring	1.2	20	24	60	72	100	120	140	168			320	384
R10	Community Mobolisation													
1	MTA/PTA training	0.007	4410	31	4410	31	4410	31	4410	31	4410	31	22050	155
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	40	320									40	320
3	Development of Awareness Material	5 per block			8	40			8	40			16	80
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	8	40	8	40	8	40	8	40	8	40	40	200
5	Production of Audio Tapes	10 per district			1	10			1	10			2	20
6	Production of Video Tapes	10 per district			1	10			1	10			2	20
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district											0	0
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	10	250
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	25
R12a	Award for Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
R12b	Award for Best NPRC	7 Per Block	7	49	7	49	7	49	7	49	7	49	35	245
R12c	Award for Best Teacher	5 Per Block	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	35	175
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	150	106	200	141	150	106					500	353
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child											0	0

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
AURAIYA

31.07.2001

(Rs. in thousand)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	900	1080	950	1140	1000	1200	1200	1440	800	960	4850	5820
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)											0	0
R16	Computer Education for UPS composite school	100	7	700	7	700	7	700	7	700	7	700	35	3500
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	1049	525	1114	557	1212	606	1212	606	1212	606	5799	2900
	Book Bank & School Library PS													
	Sub Total (B)		**9306**	**41543**	**10466**	**92074**	**10895**	**97119**	**9660**	**84684**	**8928**	**97210**	**49255**	**412631**
	(Q) Quality Improvement													
Q1	Training Programmes													
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	163	342	125	263	128	269	113	237	117	246	646	1357
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day	163	68	125	53	128	54	113	47	117	49	646	271
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	15	7									15	7
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	50	21	98	41							148	62
5	In Service Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	3440	2408	3565	2496	3693	2585	3806	2664	3923	2746	18427	12899

SERVE SHIKSHA ABHIYAN
AURAIYA

(Rs. in thousand)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
6	Inservice training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day											0	0
7	Inservice training of EGS/AIE worker	0.07 per person per day	125	263	75	158							200	421
8	Refresher course for Shiksha Mitra (15 Days)	0.07 per person per day			163	171	288	302	416	437	529	555	1396	1465
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day	131	138	256	269	331	348	168	176	18	124	904	1055
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day											0	0
11	NPRC Coordinator's Training (10 days)	0.07 per person per day											0	0
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day	7	3	7	3	7	3	7	3	7	3	35	15
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day	77	27	77	27	77	27	77	27	77	27	385	135
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	20	28	20	26	20	28	20	28	20	28	100	140
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	125	265
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	84	126	84	126	84	126	84	126	84	126	420	630

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
AURAIYA

31.07.2001 (Rs. in thousand)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	75	25
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day											0	0
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	50	75
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day			3528	318			3528	318			7056	636
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	10	700	10	700							20	1400
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	1000	350	750	263							1750	613
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	4	14	4	14	4	14	4	14	4	14	20	70
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	50	125
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	800	168	900	189	800	168					2500	525
	Total		**6149**	**4761**	**9847**	**5217**	**5620**	**4022**	**8396**	**4175**	**4956**	**4016**	**34968**	**22191**
Q2	Teaching Learning Material													
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	3603	1802	3853	1927	4109	2055	4335	2168	4569	2285	20469	10237
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1285	643	1535	768	2025	1013	2025	1013	2025	1013	8895	4450
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS+UPS)	0.150 per	99000	14850	110000	16500	120000	18000	135000	20250	140000	21000	604000	90600

SERVE SHIKSHA ABHIYAN
AURAIYA

(Rs. In thousand)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
		Child per year											0	0
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	792	396	807	404	807	404	807	404	807	404	4020	2012
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	257	257	307	307	405	405	405	405	405	405	1779	1779
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS							1	1000			1	1000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	5	800
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160					1	160					1	160
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10	1	10					3	30
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each									1	400	1	400
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each									1	400	1	400
12	School Awards	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	10	250
	Total		**104941**	**18168**	**116506**	**20126**	**127351**	**22257**	**142576**	**25450**	**147811**	**26117**	**639185**	**112118**
	Subtotal (C)		**111090**	**22929**	**126353**	**25343**	**132971**	**26279**	**150972**	**29625**	**152767**	**30133**	**674153**	**134309**
C1	**DIET**													
	Civil Work	5000											0	0
1	Furniture	50											0	0
2	Equipments (including audio visual)	300	1	300									1	300
3	Computers Work Station	600	1	600									1	600

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
AURAIYA

31.07.2001 (Rs. in thousand)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
4	Vehicle (where applicable)	350											0	0
5	Hiring	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	25
6	POL	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
7	Maintenance of Vehicle	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
8	Research/Action Research	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
	Seminars	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
9	Faculty Development	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
10	Exposure visits	50			1	50			1	50			2	100
	Publications	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	5	2000
11	Library	25			1	25			1	25			2	50
12	Salary of Computer Operator	7	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	60	420
	Contingency	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500
13	Salary of Driver (where applicable)	4	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	5	240
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
	Total		24	2027	24	1202	22	1127	24	1202	22	1127	116	6685
C2	**Block Resource Centre**													
1	Civil Construction	800											0	0
2	Salary Coordinator	6.5											0	0
3	Asstt. Coordinator	9	7	756	7	756	7	756	7	756	7	756	35	3780
4	Chowkidar	3											0	0
5	Equipment/Furniture	100											0	0
6	Travelling Allowance	5	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	35	175
7	Maint of Equipment	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	35	35
8	Maint of building	6	7	42	7	42	7	42	7	42	7	42	35	210

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
AURAIYA

31.07.2001 (Rs. in thousand)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
9	Books	10			7	70			7	70			14	140
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	1049	315	1114	334	1212	364	1212	364	1212	364	5799	1741
11	Consumables	5	7	35	7	35	7	35	7	35	7	35	35	175
12	Contingency	12	7	84	7	84	7	84	7	84	7	84	35	420
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	7	25	7	25	7	25	7	25	7	25	35	125
	Total		**1098**	**1299**	**1170**	**1388**	**1261**	**1348**	**1268**	**1418**	**1261**	**1348**	**6058**	**6801**
C3	School Complex (NPRC)													
1	Construction	200											0	0
2	Salary Coordinator	6.5											0	0
3	Equipment/Furniture	10											0	0
4	Books for Library/Book Bank	5			77	385			77	385			154	770
5	Contingency	2.5	77	193	77	193	77	193	77	193	77	193	385	965
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	77	185	77	185	77	185	77	185	77	185	385	925
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	1049	210	1114	223	1212	242	1212	242	1212	242	5799	1159
	Total		**1203**	**588**	**1345**	**986**	**1366**	**620**	**1443**	**1005**	**1366**	**620**	**6723**	**3819**
C4	District Project Office													
	Staffing Coordinators4													
	Consultants2													
	AAO													
	Driver1/Peon	88x12	1	1056	1	1056	1	1056	1	1056	1	1056	5	5280
	Furniture	50											0	0

31.07.2001

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
AURAIYA

(Rs. in thousand)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Equipment	50											0	0
	Books	10			1	10			1	10			2	20
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350											0	0
	Motorcycle	50											0	0
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
	Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125
	Telephone/fax	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250
	Honorarium to JE/AE	6 Per Block	7	504	7	504	7	504					21	1512
	POL for Motor Cycle	12x4	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	5	240
	Maintenance of equipment	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	25
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	1049	166	1114	176	1212	191	1212	191	1212	191	5799	915
	Contingency	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
	Research & Evaluation	0.300 per schol'	1049	315	1114	334	1212	364	1212	364	1212	364	5799	1741
	Total		**2114**	**2239**	**2245**	**2278**	**2440**	**2313**	**2434**	**1819**	**2433**	**1809**	**11666**	**10458**
C4 1	MIS													
1	MIS Call Furnisning	50											0	0

160

31.07.2001

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
AURAIYA

(Rs. in thousand)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
2	Salary of Computer Operator - 3 Nos.	7 p.m. ×12	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	5	420
	Salary of MIS Officer	10 x 12	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	5	600
3	MIS Equipments (where applicable)	460											0	0
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
5	Maintenance of equipments	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125
	Total		5	269	5	269	5	269	5	269	5	269	25	1345
	Sub Total (D)		4444	6422	4789	6123	5094	5677	5174	5713	5087	5173	24588	29108
	Grand Total		136179	131515	154878	255268	156674	207436	169021	194821	167846	205382	784598	994423

NIEPA DC
D11484

LIBRARY & DOCUMENTATION Centre
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No ... D-11484
Date ... 09-07-2002

161